

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2016—अग्रहायण 4, शक 1938

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2016

कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 दिनांक 14 सितम्बर 2016 से दिनांक 16 सितम्बर 2016.		03	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 सितम्बर 2016 एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने के अनुमति सहित.

क्र. एफ-5-01-2016-एक-(1).—उच्च न्यायालय न्यायाधिपतिगण (सेवाशर्तों) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री जे. के. जैन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खण्डपीठ इन्दौर को निम्नांकित विवरण अनुसार

4553

क्र. एफ-ए 5-04-2011-एक (1).— भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय (न्याय विभाग) नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक के. 13025/01/2016-यू.एस.II, दिनांक 4 अक्टूबर 2016 एवं अधिसूचना क्रमांक के. 13025/02/2016-यू.एस.II, दिनांक 5 अक्टूबर 2016 द्वारा माननीय श्री राजीव कुमार दुबे, माननीय श्रीमती अंजुली पालो, माननीय श्री विरेन्द्र सिंह, माननीय श्री सुनील कुमार अवस्थी, माननीय श्री विजय कुमार शुक्ला, माननीय श्री गुरपाल सिंह आहलूवालिया एवं माननीय श्री सुबोध अभ्यंकर की नियुक्ति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में की गई है।

माननीय न्यायाधिपति श्री राजीव कुमार दुबे, माननीय न्यायाधिपति श्रीमती अंजुली पालो, माननीय न्यायाधिपति श्री विरेन्द्र सिंह, माननीय न्यायाधिपति श्री सुनील कुमार अवस्थी, माननीय न्यायाधिपति श्री विजय कुमार शुक्ला, माननीय न्यायाधिपति श्री गुरपाल सिंह आहलूवालिया एवं माननीय श्री न्यायाधिपति सुबोध अभ्यंकर द्वारा दिनांक 13 अक्टूबर 2016 को पूर्वाह्न में अपने पद का कार्यभार ग्रहण किया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2016

फा. क्र. 17-(ई)-83-2003-इक्कीस-ब-(एक)-3892-016.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का संख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई) 83-2003-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 16 सितम्बर, 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग—1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 को प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 3 तथा 88 उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ अर्थात्:—

सारणी

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
“3.	अनूपपुर	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर	अनूपपुर, कोतमा एवं राजेन्द्रग्राम का विद्युत क्षेत्र
88.	सीहोर	द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, नसरुल्लागंज	नसरुल्लागंज एवं बुधनी का विद्युत् क्षेत्र.”

F. No. 17(E) 83-2003-XXI-B(one)-3892-016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17(E)83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1, dated 24th September, 2010 namely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 3 and 88 entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial jurisdiction of Special court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
“3.	Anuppur	IInd Additional Sessions Judge, Anuppur.	Electricity area Anuppur, Kotma and Rajendragram.
88.	Sehore	IInd Additional Sessions Judge, Nasrullaganj.	Electricity area of Nasrullaganj and Budhni.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्र. एफ-13-42-2015-तेरह.—यतः, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-32-2015-बी-ग्यारह, दिनांक 10 अगस्त, 2016 द्वारा बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करने एवं वृहद निवेश की दृष्टि से कई सुविधायें प्रदान की हैं, जिसमें रुपये 630 करोड़ के निवेश से, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला धार में, मेसर्स एस.आर.एफ. लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित नवीन पोलिएस्टर फिल्म विनिर्माण इकाई को 10 वर्षों की कालावधि के लिए विद्युत् शुल्क से छूट सम्मिलित है।

2. अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मेसर्स एस.आर.एफ. लिमिटेड की रुपये 630 करोड़ के निवेश के साथ पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला धार में प्रस्तावित नवीन पोलिएस्टर फिल्म विनिर्माण इकाई को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची गई या प्रदाय की गई विद्युत् पर विद्युत् शुल्क के संदाय से 10 वर्षों की कालावधि के लिए छूट प्रदान करती है:—

परन्तु यह कि विद्युत् शुल्क के संदाय से 10 वर्षों हेतु छूट इस शर्त पर उपलब्ध होगी कि उपरोक्त इकाई द्वारा वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश दिनांक 10 अगस्त, 2016 से तीन वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया जाए।

3. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी तथा 10 वर्षों तक प्रवृत्त रहेगी।

No.F-13-42-2015-XIII—WHEREAS, in view of creation of large number of employment and huge investment, Commerce, Industries and Employment Department vide its order No. F-16-32-2015-B-XI dated 10th August, 2016 has granted various facilities, including exemption from electricity duty for a period of 10 years, to the new polyester film manufacturing unit proposed by M/s SRF Ltd. in Pithampur Industrial Area, District Dhar, with an investment of Rs. 630 Crore.

2. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (i) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No.17 of 2012) the State Government, hereby exempts the new polyester film manufacturing unit of M/s SRF Ltd. proposed in Pithampur Industrial Area, District Dhar with an investment of Rs. 630 Crore, from payment of electricity duty on electricity sold or supplied to it by Distribution Licensee for a period of 10 years:

Provided that exemption from payment of electricity duty for 10 years would be available on the condition that the above unit starts commercial production within three years from Commerce, Industries & Employment Department's Order dated 10th August, 2016.

3. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette and shall remain in force for 10 years.

भोपाल, दिनांक 10 नवम्बर 2016

क्र. एफ-13-09-2016-तेरह.—यतः, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-04-2016-बी-ग्यारह, दिनांक 17 अगस्त, 2016 द्वारा बड़ी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों के लिए रोजगार के सृजन एवं वृहद निवेश को दृष्टि में रखते हुए, मेसर्स नाहर ग्रुप की रुपये 600 करोड़ के निवेश से स्थापित की जा रही परियोजनाओं अर्थात् मेसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड, पीलूखेड़ी जिला राजगढ़ एवं मेसर्स नाहर पॉली फिल्म लिमिटेड, मंडीदीप में स्थापित परियोजना के विस्तार तथा मेसर्स नाहर स्पनिंग मिल लिमिटेड, मंडीदीप जिला रायसेन की नवीन परियोजना को विभिन्न सुविधाएं प्रदान की हैं, जिसमें विद्युत् शुल्क से छूट भी सम्मिलित है।

2. अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 की उपधारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा मेसर्स नाहर ग्रुप की कंपनियों की विस्तार एवं नवीन परियोजनाओं को निम्नलिखित छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

(एक) पीलूखेड़ी, जिला राजगढ़ में, मेसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड की कम्पोजिट टेक्सटाईल विस्तार परियोजना के विद्यमान उच्चदाब संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत् पर, विद्युत् शुल्क के संदाय से 10 वर्ष की कालावधि के लिए छूट प्रदान की जाएगी:

परन्तु विद्युत् शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल विस्तार परियोजना के कारण उच्चदाब संयोजन के विद्यमान भार में हुई वृद्धि की सीमा तक ही उपलब्ध होगी:

परन्तु यह और कि उक्त मेसर्स ओसवाल वूलन मिल्स लिमिटेड को विद्युत् शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिए अपनी विस्तार परियोजना के लिए मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क नियम, 1949 के नियम 10 के उप नियम (1) के उपबंधों को दृष्टि में रखते हुए एक पृथक् मीटर संस्थापित करना होगा।

(दो) मंडीदीप, जिला रायसेन में मेसर्स नाहर पॉली फिल्म लिमिटेड की बीओपी पॉली फिल्म विस्तार परियोजना के विद्यमान उच्चदाब

संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत् पर, विद्युत् शुल्क के संदाय से 10 वर्ष की कालावधि के लिए छूट प्रदान की जाएगी:

परन्तु विद्युत् शुल्क के संदाय से ऐसी छूट केवल विस्तार परियोजना के कारण उच्चदाब संयोजन के विद्यमान भार में हुई वृद्धि की सीमा तक ही उपलब्ध होगी:

परन्तु यह और कि उक्त मेसर्स नाहर पॉली फिल्म लिमिटेड को विद्युत् शुल्क से छूट प्राप्त करने के लिए अपनी विस्तार परियोजना के लिए मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 15 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा मध्यप्रदेश विद्युत् शुल्क नियम, 1949 के नियम 10 के उप नियम (1) के उपबंधों को दृष्टि रखते हुए एक पृथक् मीटर संस्थापित करना होगा.

(तीन) मेसर्स नाहर स्पिनिंग मिल लिमिटेड की मंडीदीप, जिला रायसेन में प्रस्तावित नवीन टेक्सटाईल इकाई को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत् पर विद्युत् शुल्क के संदाय से 10 वर्ष की कालावधि के लिए छूट प्रदान की जाएगी.

3. विद्युत् शुल्क के संदाय से ऐसी छूट इस शर्त पर उपलब्ध होगी कि मेसर्स नाहर ग्रुप की उपरोक्त विस्तार एवं नवीन परियोजनाएं वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश दिनांक 17 अगस्त, 2016 से 3 वर्ष की कालावधि के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करें.

4. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाश की तारीख से प्रवृत्त होगी तथा 10 वर्ष तक प्रभावी रहेगी.

No. F-13-09-2016-13.—WHEREAS, in view of creation of large number of employment to local persons and huge investment, the Commerce, Industries and Employment Department vide its order No. F-16-04-2016-B-XI dated 17th August, 2016 has granted various facilities, including exemption from electricity duty, to M/s Nahar Group's projects being setup with an investment of Rs. 600 Crore, namely, extension of established projects of M/s Oswal Woolen Mills Limited, Pilookhedi, District Rajgarh and M/s Nahar Poly, film Limited, Mandideep, District Raisen and the new project of M/s Nahar Spinning Mill Limited, Mandideep, District Raisen.

2. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhinyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, grants the following exemptions to extension and new projects of Companies of M/s Nahar Group, namely:

(i) Electricity sold or supplied by Distribution Licensee to the existing high-tension connection of composite

textile extension project of M/s Oswal Woolen Mills Limited in Pilookhedi, District Rajgarh shall be exempted from payment of electricity duty for a period of 10 years:

Provided that such exemption from payment of electricity duty shall be available only to the extent of enhancement in existing load of high tension connection, due to extension project:

Provided further that the said M/s Oswal Woolen Mills Limited, shall have to install a separate meter for its extension project in view of the provisions of clause (b) of sub-section (2) of Section 15 of Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhinyam, 2012 (No.17 of 2012) and sub-rule (1) of Rule 10 of Madhya Pradesh Electricity Duty Rules, 1949 to avail exemption from payment of electricity duty.

(ii) Electricity sold or supplied by Distribution Licensee to existing high-tension connection of BOP Poly film extension project of M/s Nahar Poly Film Limited in Mandideep, District Raisen shall be exempted from payment of electricity duty for a period of 10 years:

Provided that such exemption from payment of electricity duty shall be available only to the extent of enhancement in existing load of high tension connection due to extension project:

Provided further that the said M/s Nahar Poly Film Limited, shall have to install a separate meter for its extension project in view of the provisions of clause (b) of sub-section (2) of Section 15 of Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhinyam, 2012 (No.17 of 2012) and sub-rule (1) of Rule 10 of Madhya Pradesh Electricity Duty Rules, 1949 to avail exemption from payment of electricity duty.

(iii) Electricity sold or supplied by Distribution Licensee to proposed new textile unit of M/s Nahar Spinning Mill Limited in Mandideep, District Raisen shall be exempted from payment of electricity duty for a period of 10 years.

3. Such exemption from payment of electricity duty would be available on the condition that the above extension and new projects of M/s Nahar Group start commercial production within 3 years period from Commerce, Industries & Employment Department's order dated 17th August, 2016.

4. This notification shall come in to force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette and will remain in force for 10 years.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. धारीवाल, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

आयुष विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2016

क्र. एफ-1-87-2009-1-पचपन (पार्ट).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 सितम्बर 2011 द्वारा सुश्री शशि खत्री, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग को अपने कार्य के साथ-साथ प्रशासक, मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् के पद का प्रभार सौंपा गया था. सुश्री शशि खत्री अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 30 सितम्बर, 2016 को सेवानिवृत्त हो चुकी हैं.

2. अतः राज्य शासन, एतद्वारा मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 की धारा 40 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए डॉ सतीश चन्द्र शर्मा, संयुक्त संचालक, संचालनालय आयुष को अपने कार्य के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रशासक, मध्यप्रदेश राज्य होम्योपैथी परिषद् के पद का प्रभार तत्काल प्रभाव से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिखा दुबे, प्रमुख सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर 2016

क्र. 1976A-2068-2016-तीन-जेल.—जेलों में निरूद्ध महिला बंदियों की स्थिति में सुधार हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24 अगस्त 2016 के परिपालन में, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समिति के गठन हेतु जारी आदेश क्रमांक एफ- 19-72-2015-एक-4, दिनांक 6 नवम्बर 2015 एवं 22 जुलाई, 2016 की प्रति प्रेषित है.

व्ही. सी. सेमवाल, प्रमुख सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2015

क्र. एफ 19-72-2015-एक-चार.—रिट पिटीशन क्रमांक 567/2015 (पीआईएल) इन रिफरेंस विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन (याचिका क्रमांक 4278/009 शमीम मोदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन) के परिपालन में मध्यप्रदेश की जेलों में महिला बंदियों की स्थिति में सुधार करने के लिये राज्य शासन एतद्वारा निम्नानुसार समिति का गठन

करता है:—

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव जेल विभाग अध्यक्ष
2. प्रमुख सचिव/सचिव, महिला एवं बाल विकास सदस्य विभाग.
3. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य
4. महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं सदस्य
5. सर्किल जेल/केन्द्रीय जेल अधीक्षक सदस्य
6. जेल उप महानिरीक्षक (विधि) सदस्य सचिव

2. उपरोक्त समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार आयोजित की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्याम बाई धुर्वे अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2016

क्र. एफ 19-72-2015-एक-4.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2015 द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 567/2015 (पीआईएल) इन रिफरेंस विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन (याचिका क्रमांक 4278/09 शमीम मोदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन) के परिपालन में मध्यप्रदेश की जेलों में महिला बंदियों की स्थिति में सुधार करने के लिये अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, जेल विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है.

राज्य शासन एतद्वारा उक्त समिति में निम्नानुसार ख्याति प्राप्त सम्मानित तथा प्रतिष्ठित नागरिकों को भी समिति के सदस्य के रूप में मनोनीत करता है:—

1. श्री पी. पी. तिवारी (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सूचना आयुक्त एवं पूर्व वि.स. सचिव, आकृति इकोसिटी, बावडिया कला, भोपाल. सदस्य
2. श्री आर.एल.एस. यादव, (आई.पी.एस.) सदस्य वैशाली नगर, कोटरा सुल्तानाबाद, कमलानगर थाना रोड, भोपाल.
3. श्री दिनेश गुप्ता, पूर्व एडीटर पीपुल्स, मा. सदस्य ब्यूरो चीफ, एफ 88/35 तुलसी नगर, भोपाल.
4. मिस माजा दारूवाला, चेरपरसन-कॉमन वेल्थ सदस्य हूमन राईट्स एनीसिएटिव (महिला प्रतिनिधि), 55 ए, सिद्धार्थ चेम्बर, कालू सराय, नई दिल्ली-16.

2. उपरोक्त समिति की बैठक प्रत्येक त्रैमास में एक बार आयोजित की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनंद कुमार शर्मा, अपर सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 नवम्बर 2016

मंडी समितियों के उप निर्वाचन 2016 की अचार संहिता

क्र. डी-5-56-2004-16-चौदह-3.—प्रदेश में कृषि उपज मण्डी समिति, लालबर्वा (जिला-बालाघाट), छापीहेड़ा (जिला-राजगढ़), अमरवाड़ा (जिला-छिंदवाड़ा), सिहोरा (जिला-जबलपुर), मण्डला (जिला-मण्डला), लश्कर (जिला-ग्वालियर), सिलवानी (जिला-रायसेन), छतरपुर (जिला-छतरपुर), नागौद (जिला-सतना), सोनकच्छ (जिला-देवास), गुना (जिला-गुना), उज्जैन (जिला-उज्जैन) एवं सेमरीहरचंद (जिला-होशंगाबाद) के उप निर्वाचन

हेतु समय अनुसूची विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 9 नवम्बर 2016 द्वारा जारी की गई है। इन मण्डी समितियों के उप निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से कराने का दायित्व राज्य शासन का है। अतः इस संबंध में आदर्श आचार संहिता जारी की जा रही है, जो संलग्न है। उप निर्वाचन से संबंधित समस्त शासकीय विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उम्मीदवारों का दायित्व है कि इसमें निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें एवं अपने आचरण तथा व्यवहार में पूर्ण निष्पक्षता बरतें।

उपरोक्त आदर्श आचार संहिता दिनांक 10 नवम्बर 2016 से 5 दिसम्बर 2016 तक प्रभावशील रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे उपसचिव।

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2016

क्र. एफ-15-26-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम 2015, बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम 03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:—

अनुसूची

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	इन्दौर	मानपुर	जानापाँव	आरक्षित वन-38	11.250	पूर्व—जानापाव कुटी राजस्व क्षेत्र पश्चिम—कक्ष क्रमांक 38 उत्तर—कक्ष क्रमांक 38 दक्षिण—कक्ष क्रमांक 38

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव।

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2016

क्र. एफ-15-26-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-26-2016-दस-2, दिनांक 11 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव।

Bhopal, the 11th November 2016

No. F-15-26-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3(1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hactare)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indore	Manpur	Janapav	RF-38	11.250	East—Janapav Kuti Revenue area West—Compartment No. 38 North—Compartment No. 38 South—Compartment No. 38

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2016

क्र. एफ-15-27-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015, बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम 03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:—

अनुसूची

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	बुरहानपुर	नेपानगर	झांझर डेम	आरक्षित वन-185	287.55	पूर्व—कक्ष क्र. 187 की पश्चिमी सीमा पश्चिम—कक्ष क्र. 184 की पूर्वी सीमा उत्तर—कक्ष क्र. 185 की उत्तरी सीमा दक्षिण—कक्ष क्र. 177 की उत्तरी सीमा एवं ग्राम झांझर की सीमा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2016

क्र. एफ-15-27-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-27-2016-दस-2, दिनांक 11 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th November 2016

No. F-15-27-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3(1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hactare)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Burhanpur	Nepanagar	Jhanjhar Dam	RF-185	287.55	East—Western boundary of RF 187 West— Eastern boundary of RF 184 North—Northern boundary of RF 185 South—Northern boundary of RF 187 & Janjhar Village.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2016

क्र. एफ-15-28-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम 03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:—

अनुसूची

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	रतलाम	रतलाम	कवलका माता मंदिर.	आरक्षित वन-11	271.145	पूर्व—अमलेटी ग्राम पश्चिम—मोरपीपला ग्राम उत्तर—भूरीघाटी ग्राम दक्षिण—पीपलीपाड़ा ग्राम

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2016

क्र. एफ-15-28-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-28-2016-दस-2, दिनांक 11 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th November 2016

No. F-15-28-2016-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3(1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hactare)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ratlam	Ratlam	Kavalka Mata Mandir	RF-11	271.145	East—Amleti Village West—Morpipla Village North—Bhoorighati Village South—Piplipada Village

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2016

क्र. एफ-15-29-2016-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम 2015, बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम 03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है:—

अनुसूची

क्र.	वनमण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	सीमायें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कूनो वन्यप्राणी वनमण्डल श्योपुर.	अगरा पश्चिम	धौरैट मंदिर	आरक्षित वन-1014	5.000	पूर्व—कक्ष क्रमांक 1015, 1023 की पश्चिमी सीमा रेखा. पश्चिम—कक्ष क्रमांक 997, 1013 एवं 1025 की पूर्वी सीमा. उत्तर—कक्ष क्रमांक 1010 की दक्षिणी सीमा रेखा. दक्षिण—कक्ष क्रमांक 1024, 1025 की उत्तरी सीमा रेखा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2016

क्र. एफ-15-29-2016-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-29-2016-दस-2, दिनांक 11 नवम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 11th November 2016

No. F-15-29-2016-X-2:—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015, Under the sub-section 3(1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hactare)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kuno Wildlife Division Sheopur.	Agra West	Dhoret Mandir	RF-1014	5.000	East—Western boundary of compartment No. 1015, 1023. West—Eastern boundary of compartment No. 997, 1013 & 1025. North—Southern boundary of compartment No. 1010. South—Northern boundary of compartment No. 1024, 1025.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2016

क्र. एफ 6-2-2016-अट्टावन.—भारत सरकार, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग की यूनिकाइड पैकेज इन्श्योरेंस स्कीम (UPIS) का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना/मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए चयनित निम्नानुसार बीमा कम्पनियों अपने-अपने क्लस्टर अंतर्गत समस्त जिलों में करेंगी। यह स्कीम कृषकों के लिए ऐच्छिक आधार पर रहेगी:—

कलस्टर (1)	कलस्टर में शामिल जिले (2)	बीमा कंपनी (3)
कलस्टर-A	बुरहानपुर, शाजापुर, मंदसौर, झाबुआ, बैतूल, नीमच, हरदा, होशंगाबाद, विदिशा, शहडोल, उमरिया.	एच.डी.एफ.सी. एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
कलस्टर-B	देवास, आगर-मालवा, गुना, राजगढ़, सिवनी, अशोकनगर, सिंगरौली, रीवा, सतना, सीधी.	इफको टोक्यो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
कलस्टर-C	उज्जैन, बड़वानी, ग्वालियर, रतलाम, अलीराजपुर, भिण्ड, दतिया, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी.	एच.डी.एफ.सी. एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
कलस्टर-D	इन्दौर, सागर, सीहोर, अनूपपुर, भोपाल, छतरपुर, दमोह, पन्ना, रायसेन, बालाघाट.	चोला मण्डलम् जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.
कलस्टर-E	खरगौन, धार, जबलपुर, खंडवा, छिन्दवाड़ा, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, डिंडौरी.	एच.डी.एफ.सी. एगो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.

2. यूनिकाइड पैकेज इन्श्योरेन्स स्कीम (UPIS) के अन्तर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों का लाभ ऐच्छिक रूप से किसान द्वारा लिया जावेगा. योजना अन्तर्गत फसल बीमा के अलावा शेष सभी प्रयोजनों में कवरेज एक साल के लिए माना जावेगा.

3. यूनिकाइड पैकेज इन्श्योरेन्स स्कीम (UPIS) में सम्मिलित प्रयोजनों का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	अनुभाग	प्रयोजन	बीमित राशि (रु.)	संकेतिक प्रीमियम राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा	लाभ (प्रति व्यक्ति) (अ) दुर्घटना से मृत्यु रुपये 2,00,000 (ब) स्थाई पूर्ण दिव्यांगता रुपये 2,00,000 (स) एक अंग/आंख की क्षति रुपये 1,00,000	2,00,000	रु. 12/- प्रति व्यक्ति
2	जीवन बीमा	मृत्यु जोखिम रुपये 2,00,000 (प्रति व्यक्ति)	2,00,000	रु. 330/- प्रति व्यक्ति
3	आगजनी तथा संबंधित जोखिम.	(अ) आवासीय भवन (ब) घरेलू सामग्री बीमा (गहने छोड़कर)	50,000 20,000	रु. 40/- (सेवाकर अतिरिक्त) रु. 20/- (सेवाकर अतिरिक्त)
4	कृषि पंप सेट बीमा	विद्युत्/डीजल पंप सेट 10 हार्स पाँवर तक	25,000	रु. 438/- (सेवाकर अतिरिक्त)
5	विद्यार्थी सुरक्षा बीमा	लाभ (माता पिता/विद्यार्थी के लिये) (सुरक्षा बीमा प्रति विद्यार्थी). (अ) दुर्घटना से मृत्यु रुपये 50,000 (प्रति माता पिता/विद्यार्थी). (ब) पूर्ण स्थायी दिव्यांगता रुपये 50,000 (प्रति विद्यार्थी). (स) एक अंग/आंख की क्षति रुपये 25,000 (प्रति विद्यार्थी). (द) दुर्घटना द्वारा अस्पताल में भर्ती होने पर रुपये 5,000 (प्रति विद्यार्थी).	50,000	रु. 75/- प्रति विद्यार्थी (सेवाकर अतिरिक्त).
6	कृषि ट्रेक्टर बीमा			कृषि ट्रेक्टर हेतु स्टेण्डर्ड मोटर बीमा पॉलिस भारत सरकार की (UPIS) गार्ड-लाईन के अनुसार नियम लागू होंगे.

4. अन्य सभी नियम/निर्देश भारत सरकार की यूनिकाइड पैकेज इन्श्योरेन्स स्कीम (UPIS) गार्ड-लाईन के अनुसार लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, उपसचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 नवम्बर 2016

क्र. 2860-3102-16-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:—

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिला का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शाजापुर	शाजापुर	श्री आलोक प्रताप सिंह, ICJ-II
2	बैतूल	बैतूल	कु. निधि श्रीवास्तव, Vth CJ-II-& JMFC

No. 2860-3102-16-L-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015, (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely:—

SCHEDULE

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shajapur	Shajapur	Shri Alok Pratap Singh, ICJ-II
2	Betul	Betul	Ku. Nidhi Shrivastava Vth CJ-II-& JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र सिंह, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 अगस्त 2016

क्र. 1269.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील तामिया जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(1)	(2)
ग्राम कुम्हडी, प. ह. नं. 15 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-354.202 हेक्टेयर	ग्राम-कुम्हडीखेडा, प. ह. नं. 15

छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 अक्टूबर 2016

क्र. 1655.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (संख्या 20, 1959) की धारा 2(1) की उपधारा (य-5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नीचे दर्शाये अनुसूची में स्तम्भ (1) में वर्णित भूमि के भाग को स्तम्भ (2) में दर्शित नाम से तहसील तामिया जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत राजस्व ग्राम घोषित किया जाता है :—

अनुसूची

भू-भाग का विवरण (मूल ग्राम का नाम व प. ह. नं. एवं इससे पृथक् किया गया क्षेत्रफल)	राजस्व ग्राम का नाम एवं प. ह. नं.
(1)	(2)
ग्राम नागरी, प. ह. नं. 46 से पृथक् किया गया क्षेत्रफल-146.014 हेक्टेयर	ग्राम-पीपरढार, प. ह. नं. 46

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अधिसूचना भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013

शाजापुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2016

क्र. भू-अर्जन-2016-116.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है व ऐसी किसी भूमि में जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित किया गया है, जिसकी लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है, हितबद्ध कोई व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर (क) अर्जित किये जाने के लिए प्रस्तावित भूमि के क्षेत्र और उपयुक्तता के प्रति, (ख) लोक प्रयोजन के लिये दिये गये औचित्य के प्रति, (ग) सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के निष्कर्षों के प्रति आक्षेप अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी शाजापुर के कार्यालय में कर सकेगा :—

अनुसूची (1)

भूमि का वर्णन			लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शाजापुर	मो. बड़ोदिया	करजू	निजी भूमि 627 हे.	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, संभाग शाजापुर.	करजू भवंरासा मार्ग निर्माण में निजी भूमि अधिगृह्यत बाबत.

अनुसूची (1)

(1) ग्राम करजू से भवंरासा सड़क मार्ग निर्माण हेतु

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
01	चन्द्रसिंह पिता घासीराम जाति खाती निवासी ग्राम करजू.	93	-	-	-	0.122	0.000	0.122
		94/2	-	-	-	0.405	0.00	0.405
		95				0.00	0.100	0.100
						0.527	0.100	0.627

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), शाजापुर/भू-अर्जन अधिकारी, शाजापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 18 अक्टूबर 2016

प्र. क्र. 03-अ-82-2015-16.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में देवरिया विजय तालाब योजना, तहसील सुवासरा, जिला मंदसौर की तालाब योजनान्तर्गत ग्राम देवरिया विजय के लिए आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है।

अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—

अनुसूची (1)

ग्राम : देवरिया विजय

तहसील सुवासरा

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्राम देवरिया विजय	0.500	-	0.500

देवरिया विजय तालाब योजना

ग्राम देवरिया विजय

अनुसूची (2)

आसपुरा तालाब योजना में आने वाली निजी भूमि का विवरण

स. क्र.	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा क्रमांक	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	उदा पिता देवा, मांगीबाई पति उदाजी, जाति चमार, निवासी देवरिया विजय.	128/18	0.500	0.500	-	0.500
कुल योग :			0.500	0.500	-	0.500

भूमि के नक्शे का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सीतामऊ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 7 नवम्बर 2016

क्र. 2703-भू-अर्जन-16.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल के पत्र दिनांक 12 नवम्बर 2014 के परिपालन में, आपसी सहमति से क्रय नीति के अंतर्गत निम्नानुसार नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लेखित भूमि धारकों की अनुसूची के कॉलम (3 एवं 4) अनुसार भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु दतूनी नहर परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये आवश्यक है :—

अनुसूची (1)

1. ग्राम का नाम—गुडबेल
2. तहसील—कन्नौद
3. जिला—देवास
4. कुल प्रस्ताव—01

क्र.	संपत्ति का विवरण	कृषक का नाम	सर्वे क्रमांक	अर्जन किये जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कृषि भूमि	श्रीमती शांताबाई विधवा रामोतार, गोविन्द, गोपाल, शंकर, कैलाश, लीलाबाई पिता रामोतार जाति कुम्हार.	49/1	0.110

कुल सर्वे नम्बर-01, कुल प्रस्ताव-01

उपरोक्त कृषकों की भूमि दतूनी नहर परियोजना के अंतर्गत ग्राम गुडबेल की उपरोक्तानुसार भूमि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है. यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में आपत्ति हो तो वह नियत अवधि (सार्वजनिक सूचना प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर) में आधार सहित कलेक्टर के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कन्नौद के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष अवस्थी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 5 अक्टूबर 2016

क्र. मंडी-समिति गठन-2016-1408.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 11 तथा मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी समिति (लोक सभा तथा विधान सभा सदस्य की मंडी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नामनिर्देशन) नियम, 2010 के नियम 5 के अनुसरण में मैं, शशांक मिश्र, कलेक्टर, बैतूल, मध्यप्रदेश मंडी अधिनियम की धारा 11(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम क्रमांक (2) में उल्लेखित मंडी के लिए कालम क्रमांक (4) में उल्लेखित निर्मांकित नामांकित प्रतिनिधि सदस्यों को एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित करता हूँ :—

क्रमांक	कृषि उपज मंडी समिति का क्रमांक व नाम	संस्था का नाम	नामांकित प्रतिनिधि का नाम	प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	34-बैतूल	लोक सभा सदस्य का प्रतिनिधि	श्री राजेश राजेश शुक्ला (पप्पू), बैतूल बाजार, बैतूल.	मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(घ) अंतर्गत.
2.		विधान सभा सदस्य का प्रतिनिधि	श्री भवानी गावंडे, मु-मिलानपुर, विकासखण्ड-बैतूल, जिला बैतूल.	मंडी अधिनियम की धारा 11(1)(घ) शशांक मिश्र, कलेक्टर.

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 नवम्बर 2016

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे. आ.-करेली-2016-17-506.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहनलाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2016-17 हेतु करेली शुगर मिल प्रा. लिमि., करेली, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्र को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र.	जिला/तहसील	क्रय केन्द्र	ग्रामों की संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	नरसिंहपुर/करेली	फैक्ट्री गेट+मेरेगांव+आमगांव	91	5008.70
2.	नरसिंहपुर/गाडरवारा	फैक्ट्री गेट+पुरगांव+मेरेगांव	82	5030.70
3.	नरसिंहपुर/नरसिंहपुर	फैक्ट्री गेट	13	458.20
योग . .			186	10497.60

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी उसकी सूची संलग्न है. यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा.

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.

करेली शुगर मिल प्रा. लि.
गाडरवाय रोड, करेली जिला-नरसिंहपुर (म.प्र.)

तहसीलवार गन्ने का विवरण

सत्र - 2016-17

क्र०	तहसील का नाम	ग्रामों की संख्या	रोपा (हे०में)	जडी (हे०में)	मडी (हे०में)	योग (हे०में)	पिराई हेतु उपलब्ध गन्ना (हे०में)	क्रय केन्द्र
1	करेली	91	3023.90	3434.60	1925.60	8384.10	5008.70	कैक्ट्री गेट + मेरेगांव + आमगांव
2	गाडरवारा	82	3293.70	3165.20	2117.70	8576.60	5030.70	कैक्ट्री गेट + पुरगावां + मेरेगांव
3	नरसिंहपुर	13	258.00	255.20	230.00	743.20	458.20	कैक्ट्री गेट
	कुल योग	186	6575.60	6855.00	4273.30	17703.90	10497.60	

करेली शुगर मिल प्रा. लि.

गणना क्षेत्र आरक्षण

पिराई सत्र - 2016-17

गणना क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

तहसील करेली

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी	परिवहन का साधन	पु	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	उत्पादन 50 टन प्रति हे०	पिराई हेतु उपलब्ध गन्ना हे०मे. वर्ष 2015-16 में	ग्राम केन्द्र का नाम
					जड़ी		मड़ी				
					रोपा 15-16 में	जड़ी 14-15 में					
1	खैरी	13	"	12	44.50	42.50	34.10	121.10	66.40	मेरगांव	
2	खैरुआ	15	"	12	25.00	29.20	20.70	74.90	46.50	मेरगांव	
3	गुरासिया	27	"	12	7.10	7.30	7.00	21.40	8.30		
4	पिपरिया	13	"	12	66.40	70.60	50.30	187.30	112.10	मेरगांव	
5	महलपुरा	10	"	12	13.50	13.30	13.00	39.80	16.40		
6	मेरगांव	15	"	12	14.00	12.30	13.40	39.70	20.60	मेरगांव	
7	रेवानगर	22	"	12	15.00	14.90	12.10	42.00	21.60	मेरगांव	
8	लुटवारा	17	"	12	5.20	5.00	5.20	15.40	8.70		
9	अम्हटा	10	"	21	66.50	78.00	26.20	170.70	120.50		
10	करौवा	12	"	21	8.30	8.40	6.20	22.90	10.00	आमगांव	
11	खिरिया	7	"	21	27.60	30.40	18.30	76.30	41.00		
12	बीनेर	8	"	21	36.90	41.90	24.10	102.90	68.20	आमगांव	
13	मोहद	6	"	21	100.40	115.20	93.40	309.00	236.50		
14	आमगांव	8	"	22	134.60	165.90	46.70	347.20	218.80		
15	वधुवार	5	"	22	120.50	139.70	38.40	298.60	180.00		
16	बम्होरी	12	"	22	56.80	65.20	30.20	152.20	74.80		
17	करेली	5	"	17	266.30	304.90	250.10	821.30	540.20		
18	कठोतिया	8	"	16	139.20	168.50	90.20	397.90	288.70		

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी	परिवहन का साधन	पु	गन्ना फसल आकारित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	उत्पादन 50 टन प्रति हे०	पिराई हे० उपलब्ध गन्ना हे०में वर्ष 2015-16 में	क्रय केन्द्र का नाम
					रोपा 15-16 में	जड़ी 14-15 में	मड़ी 13-14 में				
19	जनौर	9	"	16	53.50	64.00	29.50	147.00		80.50	
20	पिपरिया	11	"	14	48.40	57.20	28.10	133.70		76.20	
21	बसेडी	10	"	14	26.40	28.30	15.30	70.00		35.20	
22	राकई	12	"	14	119.70	133.20	63.20	316.10		186.80	
23	कुम्हडी	14	"	15	27.40	28.10	19.40	74.90		47.20	
24	खैरी	12	"	15	38.20	42.20	28.10	108.50		60.50	
25	रामपिपरिया	15	"	15	21.10	24.90	9.20	55.20		32.70	
26	सुरंगी	18	"	15	12.80	13.00	9.70	35.50		21.00	
27	कंधरापुर	20	"	20	30.60	34.90	14.10	79.60		46.30	
28	करहैया	25	"	20	6.70	7.20	5.50	19.40		10.60	
29	कोसमखेडा	25	"	20	42.30	48.20	29.50	120.00		64.40	
30	कोडिया	13	"	20	7.80	8.30	5.40	21.50		10.70	
31	जल्लापुर	25	"	20	23.60	27.40	19.30	70.30		40.80	
32	पिपरिया	14	"	20	25.40	28.20	16.20	69.80		38.10	
33	विचुआ खुर्द	22	"	20	6.70	7.30	5.60	19.60		11.90	
34	विचुआ कला	21	"	20	8.10	9.00	5.20	22.30		13.00	
35	बेलखेडी	28	"	20	14.40	16.30	11.20	41.90		23.80	
36	जीरागोरा	27	"	24	6.10	6.80	5.20	18.10		10.50	
37	बिल्हेरी	20	"	24	5.50	5.40	3.00	13.90		8.30	आमगांव
38	नयाखेडा	15	"	24	119.80	135.20	57.50	312.50		188.50	आमगांव
39	करहैया	20	"	24	6.30	7.10	4.20	17.60		7.70	
40	बासादेही	16	"	24	26.60	30.50	11.80	68.90		39.20	आमगांव
41	इमलिया	6	"	24	10.20	11.10	8.00	29.30		16.30	
42	कोदसा	9	"	13	82.10	95.80	52.80	230.70		152.40	भेरेगांव
43	गोंगावली	7	"	13	28.90	33.10	26.40	88.40		49.60	

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी	परिवहन का साधन	प० सं०	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	उत्पादन 50 टन प्रति हे०	सिरीई हेतु उपलब्ध गन्ना हे०मे. वर्ष 2015.16 में	क्रय केन्द्र का नाम
					रोपा		मड़ी				
					15-16 में	14-15 में	13-14 में				
44	जौहरिया	6	"	13	30.30	35.70	17.80	83.80	42.00		
45	देगोवा	10	"	13	7.10	7.90	5.60	20.60	11.70		
46	बसखेडा	10	"	13	26.40	30.50	12.70	69.60	41.90		
47	बासादेही	7	"	13	31.60	37.50	12.40	81.50	46.40		
48	करताज	26	"	19	33.70	38.40	22.40	94.50	53.80		
49	कपुरी	32	"	19	46.00	59.20	30.50	135.70	79.20		
50	गौडी	19	"	19	16.20	18.20	10.50	44.90	25.50		
51	लिथरा	18	"	19	3.60	4.10	3.20	10.90	6.10		
52	पिपरिया	22	"	19	12.20	13.90	8.10	34.20	20.70		
53	भैनावारी	25	"	19	16.20	17.30	12.80	46.30	27.30		
54	रेहली	21	"	19	19.20	19.70	15.50	54.40	29.00		
55	खापा	24	"	26	6.90	6.80	4.60	18.30	10.20		
56	नानौरी	15	"	26	9.60	10.50	8.20	28.30	16.10	आम्गाव	
57	निवारी	17	"	26	34.20	38.50	20.40	93.10	63.20		
58	विचुआ कला	19	"	26	6.90	7.00	5.10	19.00	14.40		
59	महगुवा	15	"	26	14.50	17.10	12.00	43.60	25.80		
60	रमस्वरिया	20	"	27	18.00	22.10	7.80	47.90	26.30		
61	हिनीतिया	28	"	27	8.90	9.20	6.80	24.90	13.70		
62	माचामउ	13	"	27	5.70	6.00	4.90	16.60	9.40		
63	गोवरगौव	10	"	23	46.80	44.20	13.40	104.40	68.40	आम्गाव	
64	तिन्सरा	15	"	23	24.50	28.50	17.80	70.80	39.50	आम्गाव	
65	पिपरिया	15	"	23	29.20	33.10	20.50	82.80	47.10		
66	बटौदिया	15	"	23	31.80	37.20	12.40	81.40	46.50		
67	सिमरिया खुर्द	11	"	23	25.60	30.20	21.60	77.40	44.10	आम्गाव	
68	सिमसिया कला	12	"	23	17.50	20.00	9.40	46.90	26.70		

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी	परिवहन का साधन	प० सं०	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	उत्पादन 50 टन प्रति हे०	पिटाई हे० उपलब्ध गन्ना हे०में वर्ष 2015.16 में	क्रय केन्द्र का नाम
					गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र		मड़ी 13-14 में				
					रोपा 15-16 में	जड़ी 14-15 में					
69	गिधवानी	8	"	18	35.30	40.20	28.50	104.00		62.40	
70	सासबहू	12	"	18	63.70	70.10	35.20	169.00		96.30	
71	जोवा	7	"	18	52.40	58.30	29.40	140.10		79.80	
72	भुगवारा	7	"	18	92.30	109.40	33.30	235.00		133.90	
73	चमरुआ	10	"	18	6.10	7.00	5.20	18.30		10.40	
74	खमरिया		"	8	5.90	6.20	4.00	16.10		5.20	
75	समनापुर	26	"	9	62.20	69.40	52.10	183.70		104.70	
76	मेहगंबा		"	9	11.30	12.30	6.70	30.30		17.20	
77	धुपुर	28	"	9	19.20	22.10	12.50	53.80		27.20	
78	अमरिया	26	"	10	33.20	40.50	18.20	91.90		42.70	
79	पिपरहा	27	"	10	13.30	14.50	9.60	37.40		17.90	
80	मोहद	30	"	10	12.10	13.90	11.20	37.20		12.60	
81	रातीकार कला	22	"	11	14.60	16.80	10.80	42.20		24.50	
82	देवरी खुर्द	15	"	11	10.30	12.80	7.50	30.60		12.60	
83	रातीकार खुर्द		"	11	11.80	10.90	8.40	31.10		13.90	
84	देवाकछार	12	"	11	19.60	22.70	13.40	55.70		32.80	
85	बारहा	15	"	11	25.20	28.40	20.10	73.70		36.20	आम्गांव
86	केटपानी	28	"	25	5.90	6.10	4.00	16.00		8.40	
87	खिरिया		"	25	21.40	22.60	13.50	57.50		35.50	आम्गांव
88	बसौदा	13	"	25	5.10	5.30	4.10	14.50		9.10	आम्गांव
89	हर्दगाँव	17	"	25	14.10	15.20	8.20	37.50		15.00	आम्गांव
90	ग्वारी	17	"	25	14.90	15.70	6.00	36.60		14.30	
91	महलवाडा	36	"	20	5.00	5.50	4.30	14.80		9.60	
					योग	3023.90	3434.60	1925.60	8384.10	5008.70	

करेली शुगर मिल प्रा. लि.

गण्णा क्षेत्र आरक्षण

पिराई सत्र - 2015-16

गण्णा क्षेत्र आरक्षण हेतु ग्रामों की सूची

तहसील गडरवारा

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी	परिवहन का साधन	प० न०	गण्णा फसल आरक्षित क्षेत्र			योग गण्णा क्षेत्र हेक्टेयर में	उत्पादन 50 टन प्रति हे०	पिराई हेतु उपलब्ध गण्णा हे०में वर्ष 2015-16 में	ग्राम केच का नाम
					रोपा 15-16 में	जड़ी 14-15 में	मड़ी 13-14 में				
1	गौरास	14	ट्रक ट्रेक्टर	73	22.00	23.20	10.70	55.90		31.80	
2	भडेसुर	11	"	73	59.00	60.50	50.00	169.50		113.70	
3	मोथेगाँव	14	"	73	18.00	13.80	9.80	41.60		23.70	
4	छवारा	15	"	73	15.40	13.50	11.20	40.10		22.80	
5	कामती	15	"	75	60.00	50.40	39.50	149.90		84.90	
6	कुडुआखेडा	20	"	75	14.20	12.80	9.60	36.60		21.00	
7	गरहा	20	"	75	91.30	85.80	28.40	205.50		118.00	
8	निजोर	13	"	75	62.40	56.60	25.50	144.50		82.00	
9	अजसरा	20	"	75	22.00	18.50	16.40	56.90		32.40	
10	कुम्हीडाबर	18	"	74	15.50	14.60	13.80	43.90		25.00	
11	झमरी	9	"	74	16.00	14.50	15.00	45.50		26.20	
12	कौडिया	6	"	74	17.40	16.80	10.00	44.20		25.00	
13	झामर	8	"	74	26.80	25.20	16.20	68.20		38.80	
14	भूतपिपरिया	5	"	74	34.40	32.50	15.80	82.70		49.30	
15	रमाखिरिया	5	"	74	50.50	46.60	30.80	127.90		82.50	
16	सिमरिया	10	"	79	40.50	34.00	33.70	108.20		61.60	
17	खचारी	10	"	79	81.90	70.40	60.50	212.80		111.20	
18	करपगाँव	7	"	80	248.60	242.00	200.80	691.40		445.00	
19	देगाँव	12	"	80	41.20	40.00	26.20	107.40		65.00	

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी	परिवहन का साधन	प० न०	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	उत्पादन 50 टन प्रति हे०	सिंचाई हेतु उपलब्ध गन्ना हे०मे. वर्ष 2015-16 में	ग्राम केन्द्र का नाम
					रोपा 15-16 में	जड़ी 14-15 में	मड़ी 13-14 में				
20	मेहगवाँ	15	"	80	23.60	24.80	13.00	61.40		29.80	
21	सर्रा	15	"	80	14.00	12.80	8.60	35.40		18.80	
22	बटेसरा	3	"	81	99.40	89.50	39.80	228.70		150.60	
23	कनवास	8	"	81	58.30	57.60	30.90	146.80		54.90	
24	कांकरकुईआ	20	"	81	4.20	4.00	4.10	12.30		6.60	
25	खमरिया	10	"	81	64.40	63.80	40.80	169.00		99.00	
26	चीकसा	10	"	81	46.40	43.20	33.90	123.50		63.80	
27	बदेसुर	5	"	81	74.80	70.50	53.10	198.40		136.20	
28	शाहपुर	10	"	82	144.30	130.50	65.00	339.80		220.00	
29	बघौरा	14	"	82	43.80	44.00	30.40	118.20		55.50	
30	भिन्डवार	17	"	82	10.80	11.00	12.00	33.80		17.00	
31	रामखेडी	11	"	82	74.20	73.50	18.20	165.90		75.00	
32	सलगापुर	15	"	82	7.00	7.80	2.50	17.30		9.80	
33	इमलिया	17	"	83	33.80	34.00	17.20	85.00		49.80	
34	स्थनापुर	21	"	83	8.00	7.50	5.80	21.30		9.40	
35	हिरवेपुर	15	"	83	23.00	18.50	9.60	51.10		28.50	
36	विजनपुर	22	"	84	42.40	41.80	21.90	106.10		66.80	
37	भूमियाघाट		"	84	5.00	5.60	1.80	12.40		6.80	
38	जेशारी	31	"	84	4.40	4.80	1.50	10.70		5.30	
39	धमेटा	20	"	84	43.50	41.20	20.50	105.20		79.60	
40	सलैया	21	"	84	4.20	4.70	3.80	12.70		6.80	
41	सिलेटी	32	"	85	3.80	3.50	3.20	10.50		4.50	
42	खडई	33	"	85	20.00	18.50	17.40	55.90		32.80	
43	निधौरा	33	"	85	7.20	7.50	4.00	18.70		8.00	
44	पिपरिया	34	"	85	9.00	8.50	10.50	28.00		17.60	
45	दिलौनी	19	"	70	12.00	12.80	9.40	34.20		23.20	

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी	परिवहन का साधन	प० न०	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	उत्पादन 50 टन प्रति हे०	पिराई हे० उपलब्ध गन्ना हे०में वर्ष 2015-16 में	ग्रह्य केंद्र का नाम
					जड़ी		मड़ी				
					रोपा 15-16 में	14-15 में	13-14 में				
46	मानखंडा	20	"	70	7.00	7.20	7.80	22.00	9.80		
47	रीछा	20	"	70	24.50	23.80	18.40	66.70	40.90		
48	समारिया	16	"	70	44.00	43.50	28.50	116.00	73.40	मेरेगांव	
49	बेलखेड़ी	15	"	70	11.50	10.50	9.50	31.50	16.40		
50	इमझिरी	21	"	70	45.40	44.80	33.00	123.20	75.40		
51	छीतापुर	20	"	72	88.00	87.50	68.00	243.50	145.80		
52	खामघाट	20	"	72	11.00	10.50	9.00	30.50	18.40	मेरेगांव	
53	लिगा	19	"	72	12.20	11.50	10.50	34.20	16.80		
54	बरमान	16	"	72	5.80	5.60	5.50	16.90	8.50		
55	कुसम्ही	21	"	68	41.80	40.40	20.50	102.70	55.80		
56	ढोडोकेसला	25	"	69	13.50	12.40	10.40	36.30	18.60	मेरेगांव	
57	बडियाघाट	22	"	69	53.20	42.70	31.60	127.50	65.40	मेरेगांव	
58	उमरपानी	17	"	71	40.40	39.10	30.20	109.70	60.90	मेरेगांव	
59	खुरसुरु	15	"	71	52.60	48.40	31.40	132.40	76.50	मेरेगांव	
60	सिंगोटा	15	"	71	47.40	49.00	35.90	132.30	77.40	मेरेगांव	
61	रायपानी	18	"	71	17.20	17.90	15.20	50.30	27.50		
62	बीतली	18	"	71	21.30	18.70	11.40	51.40	26.80		
63	बस्होरी	20	"	65	19.20	18.70	10.40	48.30	24.20		
64	बुधवारा	22	"	66	24.80	23.50	22.00	70.30	37.70	पुरावाँ	
65	बरांझ	20	"	75	26.00	22.10	10.50	58.60	34.50	पुरावाँ	
66	डुठी	15	"	76	63.00	64.40	66.80	194.20	111.60	पुरावाँ	
67	पुरावाँ	16	"	76	83.80	82.00	44.80	210.60	120.60	पुरावाँ	
68	सीहोरा	18	"	76	34.20	30.40	18.90	83.50	50.00		
69	हरई	19	"	76	11.40	11.80	10.60	33.80	17.40	पुरावाँ	
70	दुधवारा	20	"	76	11.70	10.90	9.90	32.50	18.00		
71	खुलरी	21	"	67	35.00	32.80	30.40	98.20	70.40	पुरावाँ	

क्र.	ग्राम का नाम	क्षेत्र की कारखाने से दूरी	परिवहन का साधन	प० न०	गन्ना फसल आच्छादित क्षेत्र			योग गन्ना क्षेत्र हेक्टेयर में	उत्पादन 50 टन प्रति हे०	मिठाई हे० अल्पतया गन्ना हे०में वर्ष 2015-16 में	ग्राम केन्द्र का नाम
					रोपा 15-16 में	जड़ी 14-15 में	मड़ी 13-14 में				
72	टेकापार	19	"	67	50.40	51.40	29.80	131.60		77.40	पुरगवों
73	मुड़िया	22	"	67	8.90	8.50	6.50	23.90		13.20	
74	कल्यानपुर	20	"	68	90.50	95.40	60.30	246.20		170.30	पुरगवों
75	बाभनवाडा	17	"	78	38.60	39.10	30.20	107.90		50.20	
76	इमलिया	15	"	78	33.20	34.40	32.00	99.60		57.20	
77	जमानिया	20	"	78	7.50	7.90	6.80	22.20		13.30	पुरगवों
78	मालहनवाडा	10	"	10	88.80	89.50	60.10	238.40		150.40	पुरगवों
79	नारगी	11	"	11	105.40	109.80	48.50	263.70		158.00	पुरगवों
80	पनारी	13	"	13	118.00	117.40	65.00	300.40		180.00	पुरगवों
81	बांसखेडा	12	"	14	28.50	29.60	19.40	77.50		37.60	पुरगवों
82	खिखोली	20	"	20	59.40	58.50	55.20	173.10		88.40	
					3293.70	3165.20	2117.70	8576.60		5030.70	
योग											

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2016

क्र. गन्ना-एस-3-क्षे. आ.-नर्मदा-2016-17-525.—मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, मोहन लाल, गन्ना आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, गन्ना, पैराई मौसम वर्ष 2016-17 हेतु नर्मदा शुगर मिल प्रा. लिमि. सालीचौका, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर (मध्यप्रदेश) के लिये नीचे दर्शाये केन्द्रों एवं उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करता हूँ :—

क्र. (1)	जिला/तहसील (2)	क्रय केन्द्र (3)	ग्रामों की संख्या (4)	क्षेत्र (हेक्टेयर में) (5)
1	नरसिंहपुर/गाडरवारा	फैक्ट्री गेट	71	9387.00
योग . . .			71	9387.00

उपरोक्त गन्ना खरीदी केन्द्रों के अन्तर्गत जो ग्राम सम्मिलित किए गये हैं, उनकी सूची संलग्न है। यह आदेश जब तक, इस हेतु समपरिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते, तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेंगे।

मोहनलाल, गन्ना आयुक्त.

नर्मदा शुगर प्रा. लि. पोडार (सालीचौका)
पैराई सत्र 2016-17

क्रमांक (1)	गांव (2)	नोरपा (हेक्टेयर में) (3)	जड़ी (हेक्टेयर में) (4)	त्रिजड़ी (हेक्टेयर में) (5)	कुल रकबा (हेक्टेयर में) (6)
1	आड़ेगांव	153	81	51	285
2	ढाना	2	2	4	8
3	डुंगरिया	88	77	53	218
4	ढिगसरा	18	16	23	58
5	अजंदा	9	12	10	30
6	धनौरा	35	18	13	65
7	खैरी (धनौरा)	5	7	9	21
8	पोडार	16	95	28	139
9	सहावन	143	91	56	291
10	झोटीबावई	41	26	10	77
11	पनागर	49	86	44	179
12	खिरिया	40	29	6	74
13	केशला	44	16	22	81
14	मारेगांव	57	37	11	105
15	खैरूआ	133	113	37	282
16	आमढाना	12	8	3	23
17	सांवरी	34	21	7	61
18	खमरिया	46	37	27	110
19	कोसकरपा	3	2	2	8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	जाईखेड़ा	36	23	15	74
21.	नांदनेर	119	75	67	261
22	दहलवाड़ा	73	69	59	200
23	बेलखेड़ी	49	28	10	87
24	पिठवानी	12	12	6	30
25	घुटंगो	42	30	21	94
26	झाझनखेड़ा	79	64	43	186
27	आमगांव	83	71	69	224
28	छोटी बनखेड़ा	44	42	25	111
29	खुशीपार	217	91	124	431
30.	चाँदौन	36	18	20	75
31	ज्वारा	60	35	24	119
32	सुपारी	48	32	33	113
33	पिठहरा	43	32	41	117
34	खैरी कामती	24	18	10	53
35	कामती	95	85	73	253
36	गाडरवारा	21	11	8	41
37	गरधा	164	74	54	292
38	बम्होरी गरधा	0	0	0	0
39	खिरिया	51	45	38	134
40	वनवारी	118	59	51	225
41	देवरी	94	75	42	211
42	मिढ़वानी	41	43	38	122
43	पाली खैरी	35	41	17	93
44	पिपरिया खुर्द	71	81	80	232
45	सासबहू बांसखेड़ा	159	161	122	441
46	सालीचौका	98	86	47	231
47	अमाड़ा	130	81	43	254
48	बारछी	47	32	20	100
49	पचामा	151	114	22	286
50	भटरा	46	34	6	86
51	इमलिया	85	75	7	167
52	बारहा	41	12	6	59
53	रहमा	26	17	5	49
54	बसुरिया	121	112	19	252
55	झामर, बैरागड़	20	22	4	47
56	जमाड़ा	27	26	13	66
57	भूतखेड़ा	6	4	4	15
58	कठौतिया	50	43	11	104
59	सीरेगांव	14	12	9	34

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
60	गोलगांव	29	25	12	66
61	बरेली	39	31	26	96
62	भमका	31	23	13	67
63	उकासघाट	23	14	6	43
64	दुरसरा दुरसरी	8	4	4	16
65	थलवाड़ा	71	36	29	136
66	दहलवाड़ा	79	55	11	145
67	साईखेड़ा	0	0	0	0
68	देतपोन	61	41	28	130
69	सेठान	30	32	22	85
70	झिरिया	56	39	41	137
71	करहैया	0	0	0	0
72	रम्पुरा	63	41	38	142
73	उड़नी	79	75	60	213
74	बम्होरी	30	36	32	99
योग . .		4203	3145	2039	9387

नोरपा—वर्ष 2015-16 में लगाया गया गन्ना.

जड़ी—वर्ष 2014-15 में लगाया गया गन्ना.

त्रिजड़ी—वर्ष 2013-14 में लगाया गया गन्ना.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 8 नवम्बर 2016

क्र. बंधक श्रम-जिश्रक-2016-2014-बंधक श्रमिक (प्रथा समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) एवं 13(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मैं, श्रीमती अलका श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शाजापुर, बंधक श्रमिक जिला स्तरीय सतर्कता समिति एवं उपखण्डों के लिए बंधक श्रमिक उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समितियां निम्नानुसार गठित करती हूँ :—

जिला स्तरीय सतर्कता समिति, शाजापुर

1. धारा 13 (2) ए—जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष
2. धारा 13 (2) बी—अजा/अजजा/के सदस्य:—
 1. श्री कैलाश चौहान, नि. ग्राम तिलावद, गोविन्द सदस्य
 2. डॉ. के. के. रामसरिया, नि. गांधी पार्क के पास, शुजालपुर मण्डी सदस्य
 3. श्री भूपेन्द्र मेंढा, नि. ज्योतिनगर, शाजापुर सदस्य

3. धारा 13 (2) सी—जिले के सामाजिक कार्यकर्ता :—
- | | |
|--------------------------------------------------|-------|
| 1. डॉ. रवि पाण्डे, नि. मक्सी | सदस्य |
| 2. श्री संतोष बराडा, नि. टंकी चौराहा, शाजापुर | सदस्य |
| 3. श्रीमती यमुना कछावा, नि. धोबी चौराहा, शाजापुर | सदस्य |
4. धारा 13 (2) डी—ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के सदस्य :—
- | | |
|-------------------------------------------------|-------|
| 1. पुलिस अधीक्षक, जिला शाजापुर | सदस्य |
| 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत शाजापुर | सदस्य |
| 3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, शाजापुर | सदस्य |
5. धारा 13 (2) ई—वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य :—
जिला अग्रणी बैंक अधिकारी, शाजापुर.

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड शाजापुर

1. धारा 13 (3) ए—उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शाजापुर
- अध्यक्ष
2. धारा 13 (3) बी—अजा/अजजा/के तीन सदस्य:—
- | | |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| 1. श्री चन्दर सिंह सौराष्ट्रीय, नि. ग्राम मझानियां, शाजापुर | सदस्य |
| 2. श्री छगन सौराष्ट्रीय, नि. ग्राम पिपलोदा, शाजापुर | सदस्य |
| 3. श्री विक्रम मालवीय, नि. शाजापुर | सदस्य |
3. धारा 13 (3) सी—सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य :—
- | | |
|----------------------------------------|-------|
| 1. प्रदीप वर्मा, नि. शाजापुर | सदस्य |
| 2. भूपेन्द्र नायक, नि. शाजापुर | सदस्य |
| 3. सुश्री शुभांगी रघुवंशी, नि. शाजापुर | सदस्य |
4. धारा 13 (3) डी—ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य :—
- | | |
|--------------------------------------------------|-------|
| 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, शाजापुर | सदस्य |
| 2. मंडल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, शाजापुर | सदस्य |
| 3. सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, शाजापुर | सदस्य |
5. धारा 13 (3) ई—वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य :—
प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शाजापुर
- सदस्य
6. धारा 13 (3) एफ—धारा 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :—
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शाजापुर.

उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड, शुजालपुर

1. धारा 13 (3) ए—उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शुजालपुर
- अध्यक्ष

2. धारा 13 (3) बी—अज्ञा/अजजा/के तीन सदस्य:—

- | | |
|------------------------------------------------------------|-------|
| 1. श्री विजेन्द्र सिंह, नि. ग्राम निपानिया खुर्द, कालापीपल | सदस्य |
| 2. श्री मोहन मालवीय, नि. वार्ड 05, शुजालपुर | सदस्य |
| 3. श्री बनेसिंह, नि. ताजपुर, उकाला शुजालपुर | सदस्य |

3. धारा 13 (3) सी—सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य:—

- | | |
|-------------------------------------------------------|-------|
| 1. राजेश सक्सेना, नि. ब्रजनगर, शुजालपुर | सदस्य |
| 2. रामचन्द्र वर्मा, नि. खाटसूर, पोलाय | सदस्य |
| 3. श्रीमती कोमल शास्त्री, नि. एम. जी. मार्ग, शुजालपुर | सदस्य |

4. धारा 13 (3) डी—ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य :—

- | | |
|---------------------------------------------------|-------|
| 1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, शुजालपुर | सदस्य |
| 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कालापीपल | सदस्य |
| 3. अनुविभागीय अधिकारी, कृषि विभाग, शुजालपुर | सदस्य |

5. धारा 13 (3) ई—वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य :—

- | | |
|------------------------------------|-------|
| प्रबंधक, को-आपरेटिव बैंक, शुजालपुर | सदस्य |
|------------------------------------|-------|

6. धारा 13 (3) एफ—धारा 10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :—

- उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शुजालपुर.

हस्ता./-
अलका श्रीवास्तव,
कलेक्टर.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 15 नवम्बर 2016

संशोधित अधिसूचना

क्र. एफ-1-2-16-रा.स.-यू.ए.1-1320.—राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009) की धारा 26 की उपधारा (2) के प्रावधान के तहत राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु पैनल अनुशंसित करने के लिए इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-2-16-रा.स.-यू.ए. 1-1177, दिनांक 1 अक्टूबर 2016 के द्वारा प्रो. कृष्णा बिष्ट, दिल्ली की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. समिति में प्रो. एच. पी. दीक्षित (पूर्व कुलपति, इग्नू), जबलपुर एवं प्रो. पं. विद्याधर व्यास, मुंबई सदस्य हैं.

2. समिति को गठन दिनांक से छः सप्ताह में बैठक कर पैनल प्रस्तुत करना है परन्तु अपरिहार्य कारणों से समिति द्वारा निर्धारित समयावधि में बैठक कर पैनल प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है.

3. अतः राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 26 की उपधारा (5) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाध्यक्ष महोदय के द्वारा पैनल प्रस्तुत करने के लिए समिति को पूर्व निर्धारित छः सप्ताह की समयावधि में 4 सप्ताह की और वृद्धि की गई है.

कुलाध्यक्ष, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर के आदेशानुसार,
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 31 अक्टूबर 2016

प्रारम्भिक अधिसूचना

(अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2003 (क्र. 30 सन् 2013))

प्रकरण क्रमांक/12492/अ-82/2016-17.—

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम सिरसोदा तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूचि (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूचि (1)

ग्राम - सिरसोदा

तहसील - धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना	0.390	0.000	0.390
	योग	0.390	0.000	0.390

अनुसूचि (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम सिरसोदा की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - सिरसोदा

तहसील - धार

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	मोहनसिंह पिता उमरावसिंह जाति राजपूत नि.सिरसोदा भूस्वामी	345/3	1.251	0.000	1.251	0.011	0.000	0.011
		347/2	0.955	0.000	0.955	0.379	0.000	0.379
	योग		2.206	0.681	2.206	0.390	0.000	0.390

प्रकरण क्रमांक/12494/अ-82/2016-17.—

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम उटावद तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूचि (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूचि (1)

ग्राम - उटावद

तहसील - धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टैयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना	10.292	0.625	10.917
	योग	10.292	0.625	10.917

अनुसूचि (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम उटावद की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - उटावद

तहसील - धार

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हैक्टैयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	बद्रीलाल पिता मांगीलाल जाति लोधा नि.उटावद भूमिस्वामी	31/1	3.564	0.000	3.564	0.642	0.000	0.642
2	राजेश पिता दुलेसिंह जाति दांगी नि. उटावद भूमिस्वामी	30/1	2.787	0.000	2.787	1.062	0.000	1.062
3	विजयसिंह पिता रामस्वरूप जाति दांगी नि. उटावद भूमिस्वामी	30/2	4.100	0.000	4.100	0.019	0.000	0.019
4	विक्रमसिंह पिता दुलेसिंह जाति दांगी नि. उटावद भूमिस्वामी	30/1/2	2.788	0.000	2.788	0.865	0.000	0.865
5	दिलीपसिंह पिता भेरुसिंह जाति दांगी नि. उटावद भूमिस्वामी	13/2/1	6.273	0.000	6.273	2.422	0.000	2.422
6	उमरावसिंह पिता अम्बाराम जाति रघुवंशी नि. अकोल्या भूमिस्वामी	13/2/2	3.667	0.000	3.667	0.044	0.000	0.044
7	राजुबाई पति दिलीपसिंह व विरेन्द्रसिंह पिता दिलीपसिंह जाति दांगी नि. उटावद भूमिस्वामी	13/1	7.527	0.000	7.527	1.335	0.000	1.335

8	भगवानसिंह पिता चतरसिंह जाति राजपुत नि. उटावद भूमिस्वामी	11	3.235	0.000	3.235	0.856	0.000	0.856
9	नारायणराव उमेशराव पिता विठलराव जाति मराठा नि. धार भूमिस्वामी	10	4.590	0.000	4.590	0.422	0.000	0.422
10	बहादुरसिंह विक्रमसिंह पिता गंगाराम जाति दांगी नि. उटावद भूमिस्वामी	9	1.164	0.000	1.164	0.194	0.000	0.194
11	रामीबाई पति नागु जाति चमार नि. उटावद भूमिस्वामी	75	0.696	0.139	0.835	0.000	0.139	0.139
12	रेशमबाई पति स्व. नानुराम सज्जनसिंह मदनसिंह सम्पतबाई कमलाबाई कलाबाई रामकन्याबाई पिता नानुराम जाति रघुवंशी नि. उटावद भूमिस्वामी	77/1	0.682	0.000	0.682	0.184	0.000	0.184
13	भेरुसिंह पिता छोगालाल जाति रघुवंशी नि. उटावद भूमिस्वामी	78/1	1.156	0.486	1.642	0.000	0.486	0.486
14	शंकर पिता रामकिशन जाति रघुवंशी नि. उटावद भूमिस्वामी	267/2/1	1.393	0.000	1.393	0.257	0.000	0.257
15	दुलेशिंह पिता रामकिशन जाति रघुवंशी नि. उटावद भूमिस्वामी	267/2/2	1.393	0.000	1.393	0.593	0.000	0.593
16	सुन्दरबाई पति रघुनाथसिंह व मुन्नीबाई पति रघुनाथसिंह जाति नि. भूमिस्वामी	265/3	1.296	0.000	1.296	0.445	0.000	0.445
17	रामस्वरुप पिता भुवानसिंह जाति दांगी नि. उटावद भूमिस्वामी	85/1	3.643	0.000	3.643	0.952	0.000	0.952
	योग		49.954	0.625	50.579	10.292	0.625	10.917

प्रकरण क्रमांक/12496/अ-82/2016-17.—

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम नियामतखेड़ी तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूचि (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूचि (1)

ग्राम - नियामतखेड़ी

तहसील - धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना	2.968	0.681	3.649
	योग	2.968	0.681	3.649

अनुसूचि (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम नियामतखेड़ी की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - नियामतखेड़ी

तहसील - धार

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	मिश्रीबाई पति स्व. हरिसिंह जाति मीणा नि.नियामतखेड़ी भूस्वामी	13/1/1	0.625	0.000	0.625	0.293	0.000	0.293
		13/2	0.519	0.000	0.519	0.013	0.000	0.013
2	बालाराम पिता सांवत जाति रघुवंशी नि. उटावद भूस्वामी	15	4.275	0.000	4.275	0.379	0.000	0.379
3	उदयसिंह, कल्याणसिंह, सजनसिंह, राजकुवरबाई पिता दरियाबाई व कंकुबाई पति स्व. दरियावसिंह व रणदीस, राकेश ताराबाई, सपनाबाई पिता मेहतापसिंह प्रेमबाई पति स्व. मेहताबसिंह जाति राजपुत नि. नियामतखेड़ी	26	0.063	0.190	0.253	0.000	0.190	0.190
4	नारायणसिंह पिता सुरेन्द्रसिंह जाति रघुवंशी नि.नियामतखेड़ी भूमिस्वामी	27	0.487	0.120	0.607	0.000	0.120	0.120
5	राजाराम पिता रतनसिंह जाति राजपुत नि. नियामतखेड़ी भूस्वामी	36/2/1	1.018	0.000	1.018	0.300	0.000	0.300
6	मायाराम, राजाराम, मोहन, अमरसिंह पिता रतनसिंह एवं शैतानबाई पति स्व. रतनसिंह जाति राजपुत नि. नियामतखेड़ी भूस्वामी	37	6.563	0.000	6.563	0.325	0.000	0.325
7	मोहनसिंह पिता रतनसिंह जाति राजपुत नि. नियामतखेड़ी भूस्वामी	38/2/3	1.012	0.000	1.012	0.045	0.000	0.045
8	खेमचन्द पिता भनाजी जाति मीणा नि. नियामतखेड़ी भूस्वामी	38/2/2	1.518	0.000	1.518	0.400	0.000	0.400
9	मायाराम पिता रतनसिंह जाति राजपुत नि. नियामतखेड़ी भूस्वामी	36/2/2	0.893	0.125	1.018	0.000	0.125	0.125
10	श्यामूबाई पति रमेश जाति राजपुत नि.नियामतखेड़ी भूस्वामी	39/2	0.759	0.000	0.759	0.009	0.000	0.009
		39/3	0.278	0.000	0.278	0.068	0.000	0.068
11	रमेशसिंह पिता कानजी जाति राजपुत नि. नियामतखेड़ी भूस्वामी	39/1/1	0.253	0.000	0.253	0.113	0.000	0.113
12	काना पिता नाथू जाति राजपुत नि. नियामतखेड़ी भूस्वामी	39/1/2/2	0.759	0.000	0.759	0.189	0.000	0.189
13	हरिसिंह पिता रामसिंह जाति राजपुत नि.नियामतखेड़ी भूस्वामी	83/1	0.531	0.000	0.531	0.165	0.000	0.165
		84/2	1.334	0.000	1.334	0.484	0.000	0.484
14	भारतसिंह पिता रामसिंह जाति राजपुत नि. ग्राम भूस्वामी	84/1	1.088	0.246	1.334	0.000	0.246	0.246
15	भगवती पिता केशरसिंह जाति बलाई नि. नियामतखेड़ी भूस्वामी	81/1	2.188	0.000	2.188	0.108	0.000	0.108

16	रीतेश, दीपाबाई ना.बा. पिता कल्याणसिंह पा. कर्ता माता सुनीताबाई एवं सुनीताबाई पति स्व. कल्याणसिंह जाति बलाई नि. नियामतखेड़ी भूस्वामी	82/1	1.859	0.000	1.859	0.019	0.000	0.019
17	कमल, विष्णु, रानीबाई पिता रामचरण एवं मायाबाई पति स्व. रामचरण जाति बलाई नि. नियामतखेड़ी भूस्वामी	81/2	2.188	0.000	2.188	0.058	0.000	0.058
योग			28.210	0.681	28.891	2.968	0.681	3.649

प्रकरण क्रमांक/12498/अ-82/2016-17.—

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम नौगांव बुजुर्ग तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूचि (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूचि (1)

ग्राम - नौगांव बुजुर्ग

तहसील - धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना	22.314	0.090	22.404
	योग	22.314	0.090	22.404

अनुसूचि (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम नौगांव बुजुर्ग की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - नौगांव बुजुर्ग

तहसील - धार

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	कुवरजी राधाकिशन सीताराम डुंगरसिंह पिता धन्नालाल जाति माली	561	5.200	0.000	5.200	1.360	0.000	1.360
2	अशोक पिता राधाकिशन, गंगाबाई पति हंसराज व रामकुँवर पिता मगनीराम माली	534/1	1.792	0.000	1.792	0.675	0.000	0.675

3	कंचनसिंह चैनसिंह तेजराम जानकीबाई शांतिबाई सुशीलाबाई पिता भागीरथ हरनामसिंह कन्हैया पिता शेरसिंह ललिताबाई पति स्व शेरसिंह जाति पुरख्या	536	1.990	0.000	1.990	0.780	0.000	0.780
4	लाल जी हेमराज पिता संखाराम मैनाबाई पति स्व संखाराम जाति माली	528/1	0.322	0.000	0.322	0.070	0.000	0.070
		909/4	0.573	0.000	0.573	0.250	0.000	0.250
5	हरिकिशन पिता देवचन्द्र जाति माली नि.ग्रा.	528/2	0.323	0.000	0.323	0.060	0.000	0.060
		909/3	0.570	0.000	0.570	0.240	0.000	0.240
6	आनन्दीबाई पति स्व हिरालाल सत्यनारायण पिता हिरालाल जाति माली	528/3	0.323	0.000	0.323	0.323	0.000	0.323
		909/1	0.572	0.000	0.572	0.230	0.000	0.230
7	आनन्दीबाई पति स्व हिरालाल जाति माली	528/4	0.322	0.000	0.322	0.200	0.000	0.200
		907	0.760	0.000	0.760	0.305	0.000	0.305
		909/2	0.573	0.000	0.573	0.230	0.000	0.230
8	महेश दिनेश पन्नालाल पिता बाबुलाल जाति माली नि.ग्राम भुस्वामी	910/1	1.365	0.000	1.365	0.750	0.000	0.750
9	कैलाश पिता जगन्नाथ जाति माली नि.ग्राम	910/2	1.365	0.000	1.365	0.620	0.000	0.620
10	कल्याणसिंह पिता भारतसिंह जाति पुरख्या	911/1	0.531	0.000	0.531	0.180	0.000	0.180
11	कैथोकले डायोसिस इन्दौर द्वारा सचिव जोसेफ बल्लेसरी जाति इसाई नि.इन्दौर	911/2	0.759	0.000	0.759	0.050	0.000	0.050
		912/2/4/1	2.875	0.000	2.875	0.110	0.000	0.110
12	उमरावबाई पति रामप्रसाद चौधरी, रेखाबाई पति लिलाधर चौधरी कविताबाई पति नरेन्द्र चौधरी जाति खाती नि.पिपल्दा कुम्हार देवास नाका इन्दौर भुस्वामी	912/1	3.670	0.000	3.670	1.360	0.000	1.360
		925	1.010	0.000	1.010	0.450	0.000	0.450
13	दुलीचन्द पिता मांगीलाल जाति माली नि.ग्राम	914/1	0.230	0.000	0.230	0.130	0.000	0.130
14	भोलाराम पिता मांगीलाल जाति माली नि.ग्राम	914/2	0.230	0.000	0.230	0.130	0.000	0.130
15	गणपत पिता मांगीलाल जाति माली नि.ग्राम	914/3	0.230	0.000	0.230	0.130	0.000	0.130
16	गणेश पिता मांगीलाल जाति माली नि. ग्राम	914/4	0.230	0.000	0.230	0.130	0.000	0.130
17	कृष्णा पिता नेमिचन्द जाति माली नि. धार भुस्वामी	913	1.780	0.000	1.780	1.360	0.000	1.360
		924	1.160	0.000	1.160	0.030	0.000	0.030
18	जमनाबाई पति स्व भीमसिंह बहादुरसिंह विरेन्द्रसिंह राजेन्द्र सिंह अजितसिंह रघुवीरसिंह अजयसिंह दिव्या पिता भीमसिंह जाति हार्डिया नि.मगजपुरा	930	0.280	0.000	0.280	0.050	0.000	0.050
19	अजीतसिंह रघुवीरसिंह पिता भीमसेन जाति हार्डिया नि.मगजपुरा भूमिस्वामी	931	1.151	0.000	1.151	1.000	0.000	1.000
20	नीता पति नरेन्द्र राव जाति ब्राह्मण नि.धार भूमि स्वामी	873/1/1	1.099	0.000	1.099	0.200	0.000	0.200
21	प्रकाश अशोक पिता बालचन्द्र जाति माली नि. ग्राम भुस्वामी	932/1	0.155	0.100	0.255	0.155	0.000	0.155

22	कपिल पिता बापुसिंह जाति राजपुत नि.ग्राम भुमि स्वामी	932/2/1/2	0.059	0.000	0.059	0.000	0.030	0.030
23	झुमाबाई पति नवलसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम भुस्वामी	932/2/1/3	0.035	0.000	0.035	0.025	0.000	0.025
24	दौलतसिंह पिता अमरसिंह जाति राजपुत नि.ग्राम भुस्वामी	932/2/1/4	0.017	0.000	0.017	0.017	0.000	0.017
25	मनोज पिता कालुराम जाति माली नि. ग्राम भुस्वामी	932/2/1/3	0.011	0.000	0.011	0.007	0.000	0.007
26	कैलाश पिता गोपाल जाति माली निवासी ग्राम भुस्वामी	933/7	0.379	0.000	0.379	0.300	0.000	0.300
27	उँकार पिता मुलचंद जाति माली निवासी ग्राम भुस्वामी	948/2/2	0.521	0.000	0.521	0.400	0.000	0.400
28	मनोहर उँकार पिता मुलचंद जाति निवासी ग्राम भुस्वामी	948/2/3	0.018	0.000	0.018	0.018	0.000	0.018
29	सीताराम पिता धन्नालाल जाति माली निवासी ग्राम भुस्वामी	962/1	0.632	0.000	0.632	0.250	0.000	0.250
30	कुँवरजी पिता धन्नालाल जाति माली नि.ग्राम भुस्वामी	962/2	0.633	0.000	0.633	0.290	0.000	0.290
31	डुगरसिंह पिता धन्नालाल जाति माली नि.ग्राम भुस्वामी	962/3	0.632	0.000	0.632	0.320	0.000	0.320
32	राधाकिशन पिता धन्नालाल जाति माली नि.ग्राम भुस्वामी	962/4	0.633	0.000	0.633	0.150	0.000	0.150
33	हंसराज पिता बाबुलाल जाति माली नि.ग्राम भुस्वामी	960/2/1	1.901	0.000	1.901	0.600	0.000	0.600
34	श्यामुबाई पिता भगवान जाति माली नि.ग्राम भुस्वामी	960/2/2/2	0.346	0.160	0.506	0.160	0.000	0.160
35	मोहनलाल पिता छोगालाल जाति माली नि.ग्राम भुस्वामी	960/2/2/1	0.253	0.000	0.253	0.100	0.000	0.100
36	शंकरलाल पिता छोगालाल जाति माली निवासी ग्राम भुमिस्वामी	972/4	1.265	0.000	1.265	0.170	0.000	0.170
37	गोविंद पिता बाबुलाल जाति माली नि. ग्राम भुस्वामी	974/1	1.370	0.000	1.370	0.090	0.000	0.090
38	कैलाश पिता गोपाल लिलाबाई पति स्व गोपाल जाति माली निवासी ग्राम भुस्वामी	1106/959/1 /1	0.613	0.000	0.613	0.250	0.000	0.250
39	रामा पिता गोपाल जाति माली निवासी ग्राम भुस्वामी	1106/959/2 /2/1	0.532	0.000	0.532	0.250	0.000	0.250
40	हेमराज पिता गोपाल जाति माली नि. ग्राम भुस्वामी	1106/959/3 /1	0.631	0.000	0.631	0.350	0.000	0.350
41	कनिराम उर्फ कन्हैयालाल पिता ब्रजलाल जाति माली नि.ग्राम भुस्वामी	978/1	2.514	0.000	2.514	0.060	0.000	0.060
42	रमेशचन्द्र शंकरलाल भगवान घनश्याम तेजाराम अवन्तिबाई इंदराबाई पिता नन्दराम धापुबाई पति स्व नन्दराम	979/1	0.385	0.000	0.385	0.085	0.000	0.085
43	धापुबाई पिता बाबुलाल जाति माली नि.ग्राम भुस्वामी	980/1/1/1	0.441	0.000	0.441	0.380	0.000	0.380

44	रमेश पिता नन्दराम जाति माली नि. ग्राम भुस्वामी	984/3/2/1	0.350	0.000	0.350	0.150	0.000	0.150
45	शंकर पिता नंदराम जाति माली नि. ग्राम भुमि स्वामी	984/3/2/3	1.338	0.000	1.338	0.700	0.000	0.700
46	भगवान पिता नंदराम जाति माली नि. ग्राम भुमिस्वामी	984/3/2/2	1.138	0.200	1.338	0.200	0.000	0.200
47	धापुबाई पति स्व नंदराम नि.ग्राम भुमिस्वामी	986/2	0.143	0.000	0.143	0.143	0.000	0.143
48	धापुबाई पति स्व नंदराम नि.ग्राम भुमिस्वामी	987/1	0.771	0.000	0.771	0.200	0.000	0.200
49	हरनामसिंह विजयसिंह सुरेन्द्रसिंह पिता छोटेलाल श्यामाबाई पति स्व छोटेलाल जाति पुरख्या नि.ग्राम भुस्वामी	988	5.340	0.000	5.340	0.760	0.000	0.760
50	लक्ष्मीबाई पति लाखनसिंह जाति राजपुत नि.ग्राम भुमिस्वामी	989/1	1.430	0.000	1.430	0.065	0.000	0.065
		989/2/2	0.505	0.000	0.505	0.270	0.000	0.270
51	हरिराम पिता भिलु जाति माली नि. ग्राम भुस्वामी	1013/1/1	0.552	0.000	0.552	0.220	0.000	0.220
52	मनिराम पिता मांगीलाल जाति माली नि.ग्राम भुस्वामी	1013/3/1	0.533	0.000	0.533	0.050	0.000	0.050
53	मोहनलाल पिता मांगीलाल जाति माली नि.ग्राम भुस्वामी	1013/3/2	0.533	0.000	0.533	0.030	0.000	0.030
54	छोटेलाल पिता छोगाला जाति माली नि.ग्राम भुस्वामी	1013/4/1	0.965	0.000	0.965	0.030	0.000	0.030
55	भेरुलाल कन्हैयालाल परमानंद गंगाराम पिता रामाजी जाति माली निवासी ग्राम	990/1	0.925	0.000	0.925	0.310	0.000	0.310
56	घणीबाई पति स्व जवरचंद तोताराम रामचन्द्र नारायण भुलिबाई पिता जवरचंद जाति माली निवासी ग्राम भुस्वामी	991/1	0.685	0.000	0.685	0.040	0.000	0.040
57	भगवान पिता सावल जाति माली नि. ग्राम भुमिस्वामी	991/2	0.685	0.000	0.685	0.070	0.000	0.070
58	भेरुलाल कन्हैयालाल परमानंद गंगाराम पिता रामाजी जाति माली निवासी ग्राम	992	1.380	0.000	1.380	0.200	0.000	0.200
59	भेरुलाल कन्हैयालाल परमानंद गंगाराम पिता रामाजी जाति माली निवासी ग्राम	994/2	2.327	0.000	2.327	0.730	0.000	0.730
60	कन्हैयालाल हुक्मीचंद मुन्नीबाई संतोषबाई दरियाबाई पिता नानुराम जाति माली नि.ग्राम भुस्वामी	994/3	2.328	0.000	2.328	0.400	0.000	0.400

61	जगन्नाथ पिता सावल जाति माली नि. ग्राम	929/1/3	0.090	0.000	0.090	0.025	0.000	0.025
		929/1/6	0.092	0.000	0.092	0.092	0.000	0.092
		929/2/2	0.239	0.000	0.239	0.024	0.000	0.024
		929/3/2	0.099	0.000	0.099	0.074	0.000	0.074
62	भागवन्तिबाई पति स्व नंदराम राजेश दिनेश अर्जुन पिता नंदराम जाति माली	926/2	0.475	0.000	0.475	0.100	0.000	0.100
		929/2/4	0.037	0.000	0.037	0.037	0.000	0.037
		929/3/6	0.115	0.000	0.115	0.060	0.000	0.060
63	लीलाबाई पति स्व मदनलाल भुरीबाई पति स्व मदनलाल जाति माली. नि. ग्राम	926/3	0.475	0.000	0.475	0.375	0.000	0.375
		929/1/5	0.066	0.000	0.066	0.066	0.000	0.066
		929/2/1	0.189	0.000	0.189	0.189	0.000	0.189
		929/3/1	0.063	0.000	0.063	0.063	0.000	0.063
64	सुरेश राकेश पिता मोहनलाल परीबाई पति स्व मोहनलाल जाति माली नि. ग्राम	926/4	0.475	0.000	0.475	0.425	0.000	0.425
		929/1/4	0.075	0.000	0.075	0.060	0.000	0.060
		929/2/3	0.037	0.000	0.037	0.037	0.000	0.037
		929/3/7	0.115	0.000	0.115	0.115	0.000	0.115
65	झुमाबाई पति नवलसिंह जाति राजपुत निवासी गुणावद	929/4/1/1	0.037	0.000	0.037	0.037	0.000	0.037
66	लक्ष्मीनारायण पिता भागीरथ जाति लोहार नि.ग्राम भुमिस्वामी	929/4/2	0.015	0.060	0.075	0.000	0.060	0.060
67	मेसर्स तिरुपति हेरिटेज गार्डन एण्ड कंसट्रक्शन पार्टनर फर्म तर्फे भागीदार राजदीप पिता डी.के.जैन निवासी कैलाश नगर धार	982/2/1/1/2	0.297	0.000	0.297	0.038	0.000	0.038
68	पुनमचंद पिता लक्ष्मीनारायण जाति माली नि.ग्राम	932/2/1/1/1	0.094	0.000	0.094	0.050	0.000	0.050
69	शांतिलाल पिता पुनमचंद जाति पाटीदार 41/5 त्रिमुर्ति नगर धार	932/2/1/1/2	0.039	0.000	0.039	0.020	0.000	0.020
70	रामकन्याबाई पति मोतिलाल जाति माली निवासी ग्राम	982/2/1/1/1	0.012	0.000	0.012	0.012	0.000	0.012
71	विवेक नारायण पिता शेष नारायण तिवारी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम	988/1	0.127	0.000	0.127	0.017	0.000	0.017
योग			70.452	0.520	70.972	22.314	0.090	22.404

प्रकरण क्रमांक/12500/अ-82/2016-17.—

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम गुणावद तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूचि (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूचि (1)

ग्राम - गुणावद

तहसील - धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना	10.606	5.255	15.861
	योग	10.606	5.255	15.861

अनुसूचि (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम गुणावद की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - गुणावद

तहसील - धार

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	श्यामलाल पिता मयाराम जाति देशवाली नि. गुणावद भूमिस्वामी	312/1/क/1	1.728	0.000	1.728	0.285	0.000	0.285
2	मुन्नीबाई पति माधवसिंह जाति देशवाली नि. गुणावद भूमिस्वामी	312/1/क/2	1.728	0.000	1.728	0.285	0.000	0.285
3	विजय पिता माधवसिंह जाति देशवाली नि. गुणावद भूमिस्वामी	312/1/3/क/1	0.253	0.000	0.253	0.042	0.000	0.042

4	सजनसिंह पिता मयाराम जाति देशवाली नि. गुणावद भूमिस्वामी	312/1/3 /क/2	1.476	0.000	1.476	0.000	0.290	0.290
5	नारायण पिता घीसा जाति मालवीय नि. धार भूमि स्वामि	315/1	1.012	0.000	1.012	0.240	0.000	0.240
6	नारायण पिता घीसा व सावित्रीबाई पति नारायण जाति मालवीय नि. धार भूमिस्वामी	315/2/1	1.190	0.000	1.190	0.067	0.000	0.067
7	शैलेन्द्र पिता नारायणप्रसाद जाति बलाई नि. धार भूमिस्वामी	315/2/2	0.603	0.000	0.603	0.005	0.000	0.005
8	रामु गिरधारी भुरेलाल कैदार पिता अम्बाराम व कल्पनाबाई पति स्व. रवि व रजत दीपीका ना.बा. पिता रवि ना.बा.पा.क. माता कल्पनाबाई जाति देशवाली नि. गुणावद भूमिस्वामी	301/2/1	2.307	0.000	2.307	0.400	0.000	0.400
9	विवेककुमार पिता विनोदकुमार जाति ब्राम्हण नि. धार भूमिस्वामी (परिवर्तित भूमि)	300/1/1	1.503	0.310	1.813	0.000	0.310	0.310
10	विजयकुमार पिता बद्रीलाल जाति महाजन नि. धार भूमिस्वामी	300/2/1	1.757	0.000	1.757	0.145	0.000	0.145
11	आबीदहुसैन पिता खानअली जाति बोहरा नि.धार भूमिस्वामी	374/3/2 /1/2	0.128	0.005	0.133	0.000	0.005	0.005
		374/3/2 /2/2	0.124	0.075	0.199	0.000	0.075	0.075
		374/4/2 /क	0.481	0.025	0.506	0.000	0.025	0.025
		372	2.019	0.004	2.023	0.000	0.004	0.004
		367	0.158	0.158	0.316	0.000	0.158	0.158
12	अब्बासअली पिता खानअली जाति बोहरा नि.धार भूमिस्वामी	371	1.960	0.000	1.960	0.255	0.000	0.255
13	शिरिनबाई पति आबीदहुसैन जाति बोहरा नि.धार भूमिस्वामी	374/4/1	0.186	0.067	0.253	0.000	0.067	0.067
		369/1	0.084	0.042	0.126	0.000	0.042	0.042
		368/2	0.434	0.036	0.470	0.000	0.036	0.036
14	श्री चावला ट्रांसपोर्ट तर्फ अधिकृत भागीदारी - मंजीतसिंह पिता लालसिंहजी व मनमीत पति मंजीतसिंह चावला जाति चावला नि. धार भूमिस्वामी	374/5/2	0.302	0.195	0.497	0.000	0.195	0.195
15	मानसिंह पिता मांगीलाल जाति गारी नि. गुणावद भूमिस्वामी	369/2	0.095	0.032	0.127	0.000	0.032	0.032
16	सुरेशचन्द्र पिता मुकुटलाल जाति ब्राम्हण नि. गुणावद भूमिस्वामी	370/1/1	0.142	0.000	0.142	0.040	0.000	0.040
17	दिनकरराव पिता मुकुटलाल जाति ब्राम्हण नि.गुणावद भूमिस्वामी	370/1/2	0.143	0.000	0.143	0.090	0.000	0.090
18	महेन्द्र पिता बाबुलाल जाति ब्राम्हण नि. डेहरीसराय भूमिस्वामी	370/2/1	0.033	0.110	0.143	0.000	0.110	0.110
		742/3	0.748	0.150	0.898	0.000	0.150	0.150
		405/2/1	0.220	0.135	0.355	0.000	0.135	0.135
19	ओमप्रकाश पिता बाबुलाल जाति ब्राम्हण नि. सांगवी भूमिस्वामी	370/2/2	0.108	0.035	0.143	0.000	0.035	0.035
		405/2/2	0.345	0.010	0.355	0.000	0.010	0.010

20	मुरली पिता रामनारायण जाति देशवाली नि. गुणावद भूमिस्वामी	406	0.139	0.000	0.139	0.139	0.000	0.139
21	दिनेश पिता रामनारायण जाति देशवाली नि. गुणावद भूमिस्वामी	407	0.342	0.000	0.342	0.025	0.000	0.025
22	सुरेशचन्द्र, दिनेशचन्द्र, अशोककुमार, अरुणकुमार, सुनिलकुमार पिता मुकुटलाल व कमलाबाई पति स्व. मुकुटलाल जाति ब्राम्हण नि. गुणावद भूमिस्वामी	404	0.018	0.020	0.038	0.018	0.020	0.038
		405/1	1.739	0.000	1.739	0.420	0.000	0.420
		744/1	0.997	0.268	1.265	0.000	0.268	0.268
23	कैलाश पिता अमरसिंह व भुरीबाई पति स्व. केदार व कमल हेमा अरविन्द्र पिता केदार व मुन्नीबाई पति स्व. रमेश पुजा दिलीप प्रिया ना.बा. पिता रमेश ना.बा.पा.क. माता मुन्नीबाई जाति देशवाली नि. गुणावद भूमिस्वामी	420/2	0.249	0.042	0.291	0.000	0.042	0.042
24	रामेश्वर पिता जगन्नाथ जाति गारी नि. गुणावद भूमिस्वामी	440	0.122	0.055	0.177	0.000	0.055	0.055
25	गीताबाई पति भरुलाल जाति गारी नि. गुणावद भूमिस्वामी	439	0.027	0.150	0.177	0.000	0.150	0.150
26	कैलाश पिता अमरसिंह जाति देशवाली नि. गुणावद भूमिस्वामी	438/2	0.456	0.000	0.456	0.078	0.000	0.078
		450/1	0.253	0.000	0.253	0.130	0.000	0.130
		451/3	0.050	0.000	0.050	0.050	0.000	0.050
27	कमलाबाई पति मांगीलाल जाति गारी नि. गुणावद भूमिस्वामी	447	0.191	0.062	0.253	0.000	0.062	0.062
28	वरदीबाई पति स्व. अमरसिंह जाति गारी नि. गुणावद भूमिस्वामी	448	0.164	0.000	0.164	0.155	0.000	0.155
29	जाकीरहुसैन पिता वलीमोहम्मद जाति नायता नि. गुणावद भूमिस्वामी	449	0.000	0.114	0.114	0.000	0.114	0.114
30	गीताबाई पति स्व. केशरसिंह जाति देशवाली नि. गुणावद भूमिस्वामी	450/2	0.000	0.240	0.240	0.000	0.240	0.240
31	रेखाबाई पति स्व. अनिल व रानी हर्षिता ना.बा. पिता अनिल ना.बा.पा.क. माता रेखाबाई जाति ब्राम्हण नि. गुणावद भूमिस्वामी	452	0.073	0.028	0.101	0.000	0.028	0.028
32	गिरधारी पिता रामरतन जाति नाई नि. गुणावद भूमिस्वामी	453	0.104	0.035	0.139	0.000	0.035	0.035
33	मुन्नीबाई पति स्व. रमेश पुजा दिलीप प्रिया ना.बा. पिता रमेश ना.बा.पा.क. माता मुन्नीबाई जाति	451/2	0.045	0.005	0.050	0.000	0.005	0.005
34	चम्पालाल पिता नंदराम जाति गारी नि. गुणावद भूमिस्वामी	537	0.417	0.000	0.417	0.013	0.000	0.013
		538	0.253	0.000	0.253	0.253	0.000	0.253
		533/1	0.226	0.000	0.226	0.226	0.000	0.226
35	नटवरलाल पिता रामलाल जाति महाजन नि. 163-164 सुखदेव नगर, इन्दौर भूमिस्वामी	539	0.311	0.170	0.481	0.000	0.170	0.170
36	जगदीश पिता बद्रीलाल ना.बा.पा.क. माता कलाबाई पति बद्रीलाल जाति गारी नि. गुणावद भूमिस्वामी	540/1	0.080	0.135	0.215	0.000	0.135	0.135
37	दशरथ पिता चम्पालाल जाति बलाई नि. गुणावद भूमिस्वामी	540/2	0.000	0.072	0.072	0.000	0.072	0.072

38	समन्दर पिता चम्पालाल जाति बलाई नि. गुणावद भूमिस्वामी	540/3	0.050	0.022	0.072	0.000	0.022	0.022
39	राजेश पिता चम्पालाल जाति बलाई नि. गुणावद भूमिस्वामी	540/4	0.041	0.030	0.071	0.000	0.030	0.030
40	नारायण शिवलाल पिता पन्नालाल, रामीबाई पति स्व. पन्नालाल व चम्पालाल पिता नंदराम जाति गारी नि. गुणावद भूमिस्वामी	533/2	0.225	0.028	0.253	0.000	0.028	0.028
41	बद्रीलाल पिता नंदराम जाति गारी नि. गुणावद भूमिस्वामी	533/3	0.148	0.170	0.318	0.000	0.170	0.170
42	मीराबाई पति लक्ष्मण जाति गारी नि. गुणावद भूमिस्वामी	531/1	0.028	0.250	0.278	0.000	0.250	0.250
43	राधाबाई पति ओमप्रकाश जाति कुमावत नि. गुणावद भूमिस्वामी	529/1/1	0.506	0.000	0.506	0.365	0.000	0.365
		531/2	0.253	0.000	0.253	0.250	0.000	0.250
44	घनश्यामसिंह, मेहरबानसिंह पिता बालूसिंह जाति राजपूत नि. गुणावद भूमिस्वामी	547/3	2.510	0.000	2.510	0.025	0.000	0.025
45	रतनसिंह पिता परथी जाति राजपूत नि. गुणावद भूमिस्वामी	529/1/2	0.260	0.435	0.695	0.000	0.435	0.435
46	लालसिंह मेहरबानसिंह पिता काना व उमराबाई पति स्व. काना जाति राजपूत नि. गुणावद भूमिस्वामी	529/2	1.201	0.000	1.201	0.495	0.000	0.495
47	ओमप्रकाश पिता मुन्नालाल जाति कुमावत नि. गुणावद भूमिस्वामी	530/2	1.387	0.000	1.387	0.080	0.000	0.080
48	देवनारायण पिता पन्नालाल जाति देशवाली नि. गुणावद भूमिस्वामी	528/1	2.334	0.000	2.334	0.458	0.000	0.458
49	सीताराम पिता पन्नालाल जाति देशवाली नि. गुणावद भूमिस्वामी	528/2	0.481	0.000	0.481	0.032	0.000	0.032
		528/3	1.852	0.000	1.852	0.865	0.000	0.865
50	हिराबाई पति जगन्नाथ जाति गारी नि. गुणावद भूमिस्वामी	548	1.050	0.000	1.050	0.488	0.000	0.488
51	मेहरबानसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति राजपूत नि. गुणावद भूमिस्वामी	558/1	1.828	0.000	1.828	0.575	0.000	0.575
52	रतनसिंह पिता हिन्दुसिंह जाति राजपूत नि. गुणावद भूमिस्वामी	558/2	1.827	0.000	1.827	1.310	0.000	1.310
53	विष्णुप्रसाद पिता बाबुलाल जाति ब्राम्हण नि. सांगवी भूमिस्वामी	560	0.226	0.280	0.506	0.000	0.280	0.280
		742/2	0.748	0.150	0.898	0.000	0.150	0.150
54	अनोखीलाल जीवनलाल कैदार पिता कैलाश व तेजुबाई पति स्व. कैलाश जाति कुमावत नि. गुणावद भूमिस्वामी	570/1/क	2.238	0.000	2.238	0.580	0.000	0.580
55	रेशमबाई पति रामा जाति चमार नि. गुणावद भूमिस्वामी	570/5	0.125	0.065	0.190	0.000	0.065	0.065
56	घीसीबाई पति स्व. हीरालाल जाति कुमावत नि. गुणावद भूमिस्वामी	570/9	0.057	0.000	0.057	0.040	0.000	0.040
57	भागीरथ पिता हीरालाल जाति कुमावत नि. गुणावद भूमिस्वामी	570/11	1.771	0.000	1.771	1.030	0.000	1.030
58	मुन्शी पिता गुलजी जाति नायता नि. गुणावद भूमिस्वामी	570/7/क	0.188	0.065	0.253	0.000	0.065	0.065

59	कमलाबाई पति. गिरधारी जाति बलाई नि. गुणावद भूमिस्वामी	570/7/ख	0.196	0.057	0.253	0.000	0.057	0.057
60	चन्द्रकांताबाई पति कन्हैयालाल जाति माहेश्वरी नि.इन्दौर भूमिस्वामी	570/12	1.012	0.000	1.012	0.040	0.000	0.040
60	इब्राहीम पिता शेरु जाति नायता नि. गुणावत भूमिस्वामी	740/1	0.253	0.080	0.253	0.080	0.000	0.080
		740/5	1.145	0.000	1.145	0.055	0.000	0.055
61	रुस्तम पिता शेरु जाति नायता नि. गुणावद भूमिस्वामी	740/2	0.253	0.000	0.253	0.097	0.000	0.097
62	मंसुर पिता गनीमौहम्मद जाति नायता नि. गुणावद भूमिस्वामी	740/3/1	0.085	0.042	0.127	0.000	0.042	0.042
63	शौकत पिता गनीमौहम्मद जाति नायता नि. गुणावद भूमिस्वामी	740/3/2	0.083	0.043	0.126	0.000	0.043	0.043
64	मौहब्बतअली पिता अब्दुल जाति नायता नि. गुणावद भूमिस्वामी	740/4	1.397	0.000	1.397	0.380	0.000	0.380
65	राजेन्द्र पिता बाबुलाल जाति ब्राम्हण नि. सांगवी भूमिस्वामी	742/1	0.673	0.225	0.898	0.000	0.225	0.225
66	महेश पिता बाबुलाल जाति ब्राम्हण नि. सांगवी भूमिस्वामी	742/4	0.464	0.105	0.569	0.000	0.105	0.105
		743/2	0.116	0.213	0.329	0.000	0.213	0.213
	योग		54.534	5.045	59.499	10.606	5.255	15.861

प्रकरण क्रमांक/12502/अ-82/2016-17.—

चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम जामन्दा तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूचि (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूचि (1)

ग्राम - जामन्दा

तहसील - धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना	7.235	0.000	7.235
	योग	7.235	0.000	7.235

अनुसूचि (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम जामन्दा की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - जामन्दा

तहसील - धार

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	अमृताबाई पति कैलाश जाति बलाई	281/1	0.300	0.000	0.300	0.089	0.000	0.089
2	भुरेसिंह पिता गिरधारी जाति बलाई	281/2	0.300	0.000	0.300	0.014	0.000	0.014
3	कैलाशचन्द्र पिता सुखराम जाति बलाई	282/1	2.715	0.000	2.715	0.031	0.000	0.031
4	कस्तुरीबाई पति स्व. गिरधारी, भुरेसिंह समन्दर पिता गिरधारी जाति बलाई	282/2	2.715	0.000	2.715	0.701	0.000	0.701
5	मानसिंह पिता सुखराम जाति बलाई	282/3	2.715	0.000	2.715	0.549	0.000	0.549
6	अयोध्याबाई पति स्व. यशवन्तसिंह, कृष्णपालसिंह बलरामसिंह पिता यशवन्तसिंह जाति राजपूत	294/1	6.331	0.000	6.331	0.882	0.000	0.882
7	अयोध्याबाई पति स्व. यशवन्तसिंह, कृष्णपालसिंह, बलरामसिंह पिता यशवन्तसिंह जाति राजपूत	295	0.645	0.000	0.645	0.047	0.000	0.047
8	अयोध्याबाई पति स्व. यशवन्तसिंह जाति राजपूत	296/1	0.759	0.000	0.759	0.710	0.000	0.710
9	कुसुमलता पति सुरेशचन्द्र विजयवर्गीय निवासी धार	297	0.772	0.000	0.772	0.340	0.000	0.340
10	दुलेरसिंह पिता काशीराम जाति राजपूत	305	1.366	0.000	1.366	0.014	0.000	0.014
11	कुसुमलता पति सुरेशचन्द्र, विजयवर्गीय निवासी धार	298	1.101	0.000	1.101	0.427	0.000	0.427
12	तेजुबाई पति स्व.सिंह, मुकुटसिंह, उँकारसिंह पिता बाबुसिंह जाति राजपूत	340	1.404	0.000	1.404	0.562	0.000	0.562
13	अमृताबाई पति हरसिंह जाति राजपूत	342/2	1.265	0.000	1.265	0.342	0.000	0.342
14	रामकिशन पिता बलवन्तसिंह जाति राजपूत	352/2	1.536	0.000	1.536	0.120	0.000	0.120
15	तेजकुवर उर्फ तुजूबाई पति दुलेसिंह जाति राजपूत	361/1	2.023	0.000	2.023	0.816	0.000	0.816
16	ओमप्रकाश पिता मोतीदास बैरागी निवासी जेतपुरा	359	1.531	0.000	1.531	0.150	0.000	0.150
17	ओमप्रकाश पिता मोतीदास बैरागी निवासी जेतपुरा	358	2.112	0.000	2.112	0.577	0.000	0.577
18	ओमप्रकाश पिता मोतीदास बैरागी निवासी जेतपुरा	357	0.139	0.000	0.139	0.036	0.000	0.036
19	रेवाशंकर पिता द्वारकादास जाति ब्राह्मण	355	4.970	0.000	4.970	0.690	0.000	0.690
20	शोभाबाई पति बजेसिंह जाति बंजारा नि ब्रह्माकुण्डी योग	356/1	2.530	0.000	2.530	0.138	0.000	0.138
			37.229	0.000	37.229	7.235	0.000	7.235

प्रकरण क्रमांक/12504/अ-82/2016-17.—

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम एकलदुना-दिग्ठान तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूचि (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूचि (1)

ग्राम - एकलदुना-दिग्ठान

तहसील - धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना	3.783	0.000	3.783
	योग	3.783	0.000	3.783

अनुसूचि (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम एकलदुना-दिग्ठान की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - एकलदुना-दिग्ठान

तहसील - धार

क्रमांक	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	अमृताबाई पति स्व. बाबूसिंह हरिसिंह प्रेमबाई कृष्णाबाई पिता बाबूसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.	54/3	1.703	0.000	1.703	0.633	0.000	0.633
2	कृष्णा पिता मांगीलाल जाति कुलमी नि.ग्रा.	83/1	1.912	0.000	1.912	0.415	0.000	0.415
3	जगदीश पिता मांगीलाल जाति कुलमी नि.ग्रा.	83/2/1	0.143	0.000	0.143	0.025	0.000	0.025
4	जीवन पिता जगदीश जाति राजपूत नि.ग्रा.	81/1/1	0.721	0.000	0.721	0.073	0.000	0.073
		81/4/1	0.627	0.000	0.627	0.075	0.000	0.075
		81/4/2	0.732	0.000	0.732	0.083	0.000	0.083

5	गायत्रीबाई पति जगदीश जाति कुलमी नि.ग्रा.	81/3/1	0.679	0.000	0.679	0.081	0.000	0.081
		81/3/2	0.680	0.000	0.680	0.078	0.000	0.078
6	महेन्द्र पिता जगदीश जाति राजपूत नि.ग्रा.	81/1/1 /2	0.721	0.000	0.721	0.070	0.000	0.070
		81/2/1	1.411	0.000	1.411	0.156	0.000	0.156
7	रामेश्वर पिता रुग्नाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.	81/5	1.359	0.000	1.359	0.132	0.000	0.132
8	भगवानसिंह पिता उदयसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.	80/3/3	0.737	0.000	0.737	0.116	0.000	0.116
		190/3/ 2	0.654	0.000	0.654	0.010	0.000	0.010
9	कृष्णचंद पिता रणछोड जाति कुलमी नि.ग्रा.	186/1/ 3	0.172	0.000	0.172	0.021	0.000	0.021
10	नारायणसिंह शंकरसिंह भगवानसिंह पिता उदयसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.	79/4	0.457	0.000	0.457	0.110	0.000	0.110
		80/4	2.594	0.000	2.594	0.596	0.000	0.596
11	भागवन्ताबाई पति स्व. विष्णु विनोद पिता विष्णु जाति कुलमी नि.ग्रा.	186/2/ 2	0.273	0.000	0.273	0.120	0.000	0.120
12	जगदीश पिता रणछोड जाति कुलमी नि.ग्रा.	186/2/ 3	0.523	0.000	0.523	0.095	0.000	0.095
13	दिनेश पिता बाबूसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.	190/2/ 1	0.654	0.000	0.654	0.338	0.000	0.338
14	दुलेसिंह पिता बाबूसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.	190/2/ 2	0.653	0.000	0.653	0.303	0.000	0.303
15	विक्रमसिंह पिता बाबूसिंह जाति राजपूत नि.ग्रा.	81/6/3	1.254	0.000	1.254	0.090	0.000	0.090
16	भंवरबाई पति स्व. रघुनाथ जाति राजपूत नि.ग्रा.	81/1/2	0.962	0.000	0.962	0.163	0.000	0.163
योग			19.621	0.000	19.621	3.783	0.000	3.783

प्रकरण क्रमांक/12506/अ-82/2016-17.—

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूचि क्रमांक 1 में इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम जैतपुरा तहसील व जिला धार के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूचि (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है। अतः सौशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2003 (क्र.30 सन्2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूचि (2) की भूमि की अनुसूचि (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :-

अनुसूचि (1)

ग्राम - जैतपुरा

तहसील - धार

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टेयर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
	इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना	4.969	0.000	4.969
	योग	4.969	0.000	4.969

अनुसूचि (2)

इन्दौर-दाहोद नई बड़ी रैलवे लाईन परियोजना के अन्तर्गत ग्राम जैतपुरा की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम - जैतपुरा

तहसील - धार

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टैयर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	कन्हैयालाल पिता नन्दराम, गोपाल, संजय पिता कन्हैयालाल जाति जाट	16	3.529	0.000	3.529	0.793	0.000	0.793
2	सुंदरलाल पिता लूणा जाति लोधा	378/1	1.264	0.000	1.264	0.548	0.000	0.548
3	भागवन्तीबाई पति भागीरथ जाति जाट	379/1	1.265	0.000	1.265	0.326	0.000	0.326
4	भागीरथ पिता मथुरालाल जाति जाट	379/2	0.253	0.000	0.253	0.056	0.000	0.056
5	मुकेश पिता भागीरथ जाति जाट	379/3	0.506	0.000	0.506	0.108	0.000	0.108
6	घनश्याम पिता भागीरथ जाति जाट	379/4	0.505	0.000	0.505	0.096	0.000	0.096
7	रामीबाई पति खेमराज संतोष पिता खेमराज जाति लोधा	380/2	1.518	0.000	1.518	0.342	0.000	0.342
8	गंगाराम पिता रामा जाति माली निवासी नौगांव	388/2	2.530	0.000	2.530	0.380	0.000	0.380
9	भेरुलाल पिता रामाजी जाति माली निवासी नौगांव	386/4	1.250	0.000	1.250	0.181	0.000	0.181
10	कन्हैयालाल पिता रामाजी जाति माली निवासी नौगांव	386/8	1.122	0.000	1.122	0.299	0.000	0.299
11	परमानंद पिता रामाजी जाति माली निवासी नौगांव	384/1	1.012	0.000	1.012	0.348	0.000	0.348
12	रतन पिता नंदराम जाति जाट	412	2.706	0.000	2.706	0.563	0.000	0.563
13	आनंदीलाल पिता भेरुलाल जाति लोधा निवासी तोरनोद	415/3 /1	1.265	0.000	1.265	0.518	0.000	0.518
14	आनंदीलाल विष्णु गुडडीबाई हरुबाई पिता भेरुलाल जाति लोधा निवासी तोरनोद	415/3 /2	0.759	0.000	0.759	0.127	0.000	0.127
15	विष्णु पिता भेरुलाल जाति लोधा निवासी तोरनोद	415/5 /1	1.771	0.000	1.771	0.284	0.000	0.284
	योग		21.255	0.000	21.255	4.969	0.000	4.969

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 4 नवम्बर 2016

क्र. 9283-प्रवा.-2016.—

क्रमांक /भू-अर्जन/2015 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (4) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2013-2014 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम रायपूरिया घाटा के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम रायपूरिया घाटा

स.क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टेयर	प्रयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शेष भूमि	59.579	मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण
कुलयोग :-		59.579	

अनुसूची (2)

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि :- ग्राम रायपूरिया घाटा

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	कुल प्रभावित भूमि हे. में
1	2	3	4	5
1	केलाशसिंह पिता शम्भूसिंह जाति राजपूत	3/2/2	0.645	0.645
	पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	74/1	0.127	0.127
		72/1	0.525	0.050
		95/2	0.088	0.088
		280/2	0.126	0.126
योग		5	1.511	1.036

2	जयकुवर उर्फ जामकुवर पति रघुवीर सिंह जाति राजपूत भूमि स्वामी	81/3/1/2	0.253	0.140
		82/1	0.236	0.236
	योग	2	0.489	0.376
3	भंवरलाल, अमृतसिंह, हरिसिंह पिता शम्भूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	86/1/1	0.035	0.035
		87/1/1	0.019	0.019
		89/1/1	0.133	0.133
		383/2/1	1.024	0.150
		389/3	0.443	0.443
	योग	5	1.654	0.780
4	तेजसिंह पिता रूपसिंह मु. लाडकुंवर विधवा रूपसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भू स्वामी	86/1/2	0.035	0.035
		87/1/2	0.019	0.019
		89/1/2	0.133	0.133
	योग	3	0.187	0.187
5	भंवरलाल, अमृतसिंह, हरिसिंह पिता शम्भूसिंह, तेजसिंह पिता रूपसिंह मु. लाडकुंवर विधवा रूपसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	88	0.013	0.013
	योग	1	0.013	0.013
6	ईश्वरसिंह, शैलेन्द्रसिंह, सीमाबाई पिता कालूसिंह, मु. लाड कुंवर विधवा कालूसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	77/2	0.031	0.031
		90/1	0.196	0.196
		93/2	0.07	0.070
		132/1/1	0.070	0.070
		132/4/1	0.060	0.060
		177	0.076	0.076
		212/3	0.127	0.127
		254/1	0.054	0.054
		181/3/1	0.055	0.055
	योग	9	0.739	0.739
7	मोहनसिंह पिता हनुमंतसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	77/1	0.032	0.032
		90/2/1	0.126	0.126
		93/1	0.069	0.069
		132/2/1	0.090	0.090
		132/3/1	0.060	0.060
		175/2/1	0.025	0.025
		212/1	0.126	0.126
		256	0.013	0.013
		254/2	0.055	0.055
	योग	10	0.651	0.651

8	चन्द्रसिंह, अनारसिंह, गुलाबसिंह पिता गोपालसिंह मु. रतनकुंवर विधवा गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	97/1	1.000	0.840
	योग	1	1.000	0.840
9	जगदीश पिता मांगीलाल जाति दांगी पता नि. लसुल्डया भूमि स्वामी	97/2	1.012	0.752
	योग	1	1.012	0.752
10	इन्द्रपालसिंह पि. रघुवीरसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	94	0.139	0.139
		97/3/1	0.960	0.770
	योग	2	1.099	0.909
11	अमरसिंह पिता देवीसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	97/4	1.000	0.150
		252/1	0.036	0.036
	योग	2	1.036	0.186
12	तंवरलाल पिता भंवरलाल जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	98	0.152	0.152
		106/1	0.061	0.061
		178	0.228	0.228
	योग	3	0.441	0.441
13	चन्दुबाई, जतूबाई, नानीबाई माता समरीबाई जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	105/1	0.069	0.069
	योग	1	0.069	0.069
14	हेमसिंह पिता जगन्नाथसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	125/1	0.095	0.095
		358	0.683	0.683
		376/2	0.125	0.125
	योग	3	0.903	0.903
15	तंवरलाल पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	97/7	1.462	1.462
		133/1	0.218	0.218
		136/1	0.063	0.063
		137	0.152	0.152
		138	0.253	0.253
		142/1	0.184	0.184
		253	0.114	0.114
	योग	7	2.446	2.446
16	मेहरबानसिंह, सुरेन्द्रसिंह पिता सुल्तानसिंह मु. प्रेम कुंवर पति सुल्तानसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	81/2/1	0.700	0.300
		92/3	0.051	0.051
		140	0.152	0.152
		147	0.063	0.063
	योग	4	0.966	0.566

17	गोविन्दसिंह पिता नरभेसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	153/1	0.007	0.007
		162/1	0.045	0.045
	योग	2	0.052	0.052
18	भगवानसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	81/3/1/1/1	0.629	0.529
		157/1	0.175	0.175
		190/1/1	0.076	0.076
	योग	3	0.880	0.780
19	कृष्णपालसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत भूमि स्वामी	96/1/1	0.379	0.180
		181/1/1	0.055	0.055
		212/2	0.126	0.126
	योग	3	0.560	0.361
20	नंदकिशोर, रामप्रसाद पिता चिमना, पप्पू, मांगीलाल पिता रामबगस मु. केशरबाई विधवा रामबगस जाति नाई नि.ग्रा. कचनारिया	176.0	0.190	0.190
		275	0.126	0.126
	योग	2	0.316	0.316
21	सुरेन्द्रसिंह पि. रघुवीरसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	180	0.139	0.139
		187/1	0.031	0.031
		97/5/1	0.900	0.650
	योग	3	1.070	0.820
22	विक्रमसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	185/1/1	0.019	0.019
		योग	1	0.019
23	मनोहरसिंह पिता किशनसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	185/2	0.051	0.051
		80/2	0.373	0.080
	योग	2	0.424	0.131
24	जगदीश पिता मदन जाति ब्राह्मण नि.ग्राम भूमि स्वामी	188/1	0.038	0.038
		381/403/1	0.196	0.196
	योग	2	0.234	0.234
25	रामप्रसाद, मेहताबाबाई, गीताबाई पिता धूलजी जाति ब्राह्मण पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	188/2	0.038	0.038
		381/403/2	0.196	0.196
	योग	2	0.234	0.234
26	भारतसिंह पिता हिन्दूसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	190/1/2	0.076	0.076
		81/3/1/1/2	0.628	0.608
	योग	2	0.704	0.684

27	संतोषकुंवर पति श्री कैलाश सिंह जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	190/2	0.152	0.152
	योग	1	0.152	0.152
28	चतरभानसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	192/1	0.141	0.141
		97/6	1.000	1.000
	योग	2	1.141	1.141
29	विष्णुकुंवर विधवा प्रभुनाथसिंह, गेंदकुंवर पुत्री प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	209/1/1/1	0.202	0.202
	योग	1	0.202	0.202
30	जगदीशसिंह पिता तखतसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	209/2	0.011	0.011
		240	0.101	0.101
	योग	2	0.112	0.112
31	तैवरलाल, चतरभानसिंह, इन्द्रपालसिंह, सुरेन्द्रसिंह पिता रघुवीरसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	92/1	0.063	0.063
		92/2	0.021	0.021
		210	0.126	0.126
		218	0.101	0.101
		221	0.038	0.038
	योग	388	0.164	0.164
	योग	6	0.513	0.513
32	तंवरसिंह, चतरभानसिंह, इन्द्रपालसिंह, सुरेन्द्रसिंह पिता रघुवीरसिंह, सरेकुंवर विधवा रघुवीरसिंह हि. 65 पै. चन्दरसिंह, अनारसिंह, गुलाबसिंह पिता गोपालसिंह मु. रतनकुंवर विधवा गोपालसिंह हि. 35 पै. जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	215	0.202	0.100
	योग	1	0.202	0.100
33	उमराव, नंदराम पिता गोपीलाल, हरी, इन्दर पिता कनीराम जाति राजपूत पता नि.ग्रा. भूमि स्वामी	217	0.253	0.133
		योग	1	0.253
34	हजारी, चन्दर पिता बाबरू, जाति बेलदार नि.ग्राम भूमि स्वामी	222	0.177	0.025
	योग	1	0.177	0.025

35	होकमसिंह, ज्ञानसिंह, अजयसिंह, नन्दलाल पिता लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	274/3	0.025	0.025
	योग	1	0.025	0.025
36	मांग्या, रतन पिता भंवरिया मु. रमकूबाई पति भंवरिया जाति बेलदार नि.ग्राम भूमि स्वामी	236	0.126	0.050
	योग	1	0.126	0.050
37	दुलेसिंह पिता विजयसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	238	0.177	0.177
	योग	1	0.177	0.177
38	कुमेरसिंह पिता लालसिंह नि.ग्राम भूमि स्वामी	239	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
39	भंवरलाल पिता कनीराम जाति चमार नि. ग्राम भूमि स्वामी	242/1 245/1 246/1	0.063 0.025 0.089	0.063 0.025 0.089
	योग	3	0.177	0.177
40	देउ उर्फ देवबाई पति अमरसिंह उर्फ अमरा जाति चमार नि.ग्राम भूमि स्वामी	242/2 245/2 246/2	0.063 0.026 0.088	0.063 0.026 0.088
	योग	3	0.177	0.177
41	सौरमबाई, चंदाबाई पिता नारायणसिंह, प्रेमसिंह, भीकमसिंह, मेहताबसिंह, शिवसिंह पिता उम्मेदसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	243 244 315 317/1 342 339	0.139 0.304 0.063 1.333 1.126 0.101	0.139 0.304 0.063 1.333 1.126 0.101
	योग	6	3.066	3.066
42	शंभुसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	248 81/1	0.051 0.163	0.051 0.040
	योग	2	0.214	0.091
43	बलरामसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	96/1/3 175/1/1 250 254/3	0.380 0.026 0.038 0.055	0.100 0.026 0.038 0.055
	योग	4	0.499	0.219

44	तँवरलाल, कृष्णपालसिंह, हरिसिंह, बलरामसिंह पिता भँवरलाल, इश्वरसिंह, शैलेन्द्रसिंह पिता कालूसिंह, मेहरबानसिंह पिता हनुमन्तसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	251	0.190	0.190
		255	0.025	0.025
		211	0.278	0.278
	योग	3	0.493	0.493
45	भारतसिंह पिता सजनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	258/1	0.013	0.013
		309/2/2	0.127	0.127
		341/1/1	0.155	0.155
		310/2/2	0.274	0.274
		353/1	0.222	0.222
		316/401/1/1	0.196	0.196
		311/2/2	0.097	0.097
		312/2	0.152	0.152
	योग	8	1.236	1.236
46	हरिनारायण पिता शेतानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	258/2	0.015	0.015
		261	0.126	0.126
		308	0.101	0.101
		345/1	0.298	0.298
		356/2	0.487	0.487
		309/1	0.253	0.253
		310/1	0.274	0.274
		311/1	0.097	0.097
		316/401/1/2	0.196	0.196
	योग	9	1.847	1.847
47	कृष्णपालसिंह पिता रामनाथसिंह भेरूसिंह ना.बा. पिता पदमसिंह सर. माता केदारबाई मु. केदारबाई विधवा पदमसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	259/1	0.025	0.025
		265	0.202	0.202
		266	0.063	0.063
		277/2	0.076	0.076
		354/1	0.107	0.107
	योग	5	0.473	0.473
48	ममताकुवंर पति धर्मेन्द्रसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	262	0.051	0.051
		263	0.076	0.076
		362/1	0.639	0.519
	योग	3	0.766	0.646

49	धर्मेन्द्रसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	264	0.025	0.025
		313	0.607	0.517
		343/2/1	0.046	0.046
		344/1	0.360	0.360
		350/2/1	0.113	0.113
		355/2	0.297	0.297
		356/1	0.487	0.487
		345/2	0.297	0.297
		391/1/4	3.794	0.260
	योग	9	6.026	2.402
50	मोतीसिंह पिता लालसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	268/1	0.120	0.120
	योग	1	0.120	0.120
51	दिलीपसिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	268/2	0.108	0.108
		269	0.013	0.013
	योग	2	0.121	0.121
52	भंवरलाल, लाखनसिंह, बृजसिंह, किशोरसिंह पिता बनेसिंह मु. चतरकुंवर पति बनेसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	270	0.392	0.392
		349	0.342	0.342
		350/1	0.187	0.075
	योग	3	0.921	0.809
53	शिवराजसिंह, रघुनंदनसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	271	0.240	0.240
		279	0.278	0.278
		336/1/1	0.144	0.144
		386	0.051	0.051
		366/1	0.415	0.415
		340	0.519	0.519
	योग	6	1.647	1.647
54	दीगपालसिंह, कमलेश, बिन्दू, मंजू पिता भगवानसिंह मु. दीपकुंवर बेवा भगवानसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	382	0.622	0.622
		383/1/3	0.570	0.290
		400/2/2	0.257	0.100
	योग	3	1.449	1.012
55	शिवराजसिंह, रघुनंदनसिंह, गोवर्धनसिंह, प्रेमसिंह, गजराजसिंह, सरदारसिंह, भगवानसिंह, विजयसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	274/2	0.013	0.013
	योग	1	0.013	0.013

56	रतनसिंह पिता चांदसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	276	0.038	0.038
		277/1	0.126	0.126
		354/2	0.108	0.108
		361/2	0.506	0.506
		370/1	0.001	0.001
		375	0.139	0.139
	योग	6	0.918	0.918
57	कृष्णपालसिंह दत्तक पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	278	0.101	0.101
		377/13/1	2.277	0.300
	योग	2	2.378	0.401
58	भंवरलाल पिता शंभूसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	280/1	0.127	0.050
		357/1	0.683	0.683
		74/2	0.126	0.126
		95/1	0.089	0.089
		3/2/1	0.645	0.645
	योग	5	1.670	1.593
59	बलरामसिंह पिता नन्नूसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	285/1	0.038	0.038
		327	0.063	0.063
		346/1	0.152	0.152
		360/1	0.727	0.130
	योग	4	0.980	0.383
60	राजेन्द्रसिंह पिता नन्नूसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	285/2	0.038	0.038
		346/2	0.152	0.152
		360/2	0.728	0.728
	योग	3	0.918	0.918
61	किशोरसिंह पिता नन्नूसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	285/4	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
62	होकमसिंह, दीपसिंह पिता प्रभुनाथसिंह, जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	285/3	0.038	0.038
	योग	1	0.038	0.038
63	कैलाशसिंह पिता सजनसिंह, मु. रेशमकुंवर विधवा सजनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	287	0.152	0.076
		309/2/1	0.126	0.126
		341/2	0.222	0.222
		310/2/1	0.274	0.274
		343/1/2/1	0.139	0.139
		311/2/1	0.097	0.097
		353/2	0.221	0.221
		312/1	0.152	0.152
	योग	8	1.383	1.307

64	गजराजसिंह पिता झुंगरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	387	0.481	0.481
		390	0.063	0.063
		389/1	2.654	1.990
		288	0.126	0.066
	योग	4	3.324	2.600
65	विजेन्द्रसिंह, गायत्रीबाई, ममताबाई पिता प्रतापसिंह मु. मुनीबाई विधवा प्रतापसिंह, अर्जुनसिंह, मोहनसिंह, उदयसिंह पिता अचलसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	314	0.746	0.746
	योग	1	0.746	0.746
66	पेपकुंवर पति हरिनारायणसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	347	0.455	0.455
		348	0.708	0.708
	योग	2	1.163	1.163
67	रतनसिंह, जगदीश ना.बा. रामपाल ना.बा. श्याम कुंवर बैवा बहादरसिंह सर. माता जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	352/2	0.587	0.587
		80/1	0.373	0.090
	योग	2	0.960	0.677
68	मानसिंह पिता मदनसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	355/1	0.094	0.094
		367/1	0.063	0.063
	योग	2	0.157	0.157
69	लाडकुंवर विधवा प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	357/2/1	0.253	0.253
	योग	1	0.253	0.253
70	सरेकुंवर पति किशोरसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	357/2/2	0.253	0.253
		362/2/2	0.319	0.319
	योग	2	0.572	0.572
71	प्रेमकुंवर पति हरिनारायण जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	359	1.733	1.233
	योग	1	1.733	1.233
72	भेरूसिंह पिता पदमसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	361/1/1	0.322	0.322
		385	0.139	0.139
	योग	2	0.461	0.461

73	सुधाकुंवर पति भंवरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	361/1/2	0.323	0.323
	योग	1	0.323	0.323
74	भंवरलाल, दीपसिंह पिता प्रभुनाथसिंह मु. लाडकुंवर विधवा प्रभुनाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	362/2/1	0.320	0.320
	योग	1	0.320	0.320
75	ज्ञानसिंह पिता रूगनाथसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	377/10/1	2.024	2.024
	योग	1	2.024	2.024
76	जसवंतसिंह पिता बलरामसिंह जाति गूर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	377/16/1	1.618	0.923
	योग	1	1.618	0.923
77	कृष्णपालसिंह पिता रामनाथसिंह, पदमसिंह पिता चांदसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	378/1/1	1.618	1.618
	योग	1	1.618	1.618
78	रामप्रसाद पिता बनिया जाति बेलदार नि. ग्राम भूमि स्वामी	378/2/1/1	0.304	0.304
		400/1/1	0.632	0.482
	योग	2	0.936	0.786
79	मुकेश पिता दुलीचंद जाति बेलदार नि. ग्राम भूमि स्वामी	378/2/2	0.203	0.203
		400/1/2	0.266	0.236
	योग	2	0.469	0.439
80	ईश्वर पिता दुलीचंद जाति बेलदार नि. ग्राम भूमि स्वामी	378/2/3	0.203	0.203
		400/1/3	0.266	0.266
	योग	2	0.469	0.469
81	सुगनबाई विधवा दुलीचंद जाति बेलदार नि.ग्राम भूमि स्वामी	378/2/4	0.100	0.100
		400/1/4	0.101	0.101
	योग	2	0.201	0.201
82	विपिनकुमार पिता जगदीशसिंह जाति राजपूत निवासी भोपाल भूमि स्वामी	376/1/1	0.762	0.762
	योग	1	0.762	0.762

83	संतोषकुंवर बेवा भोनीसिंह, रवि,पप्पू उर्फ अरुण ना.बा. पिता भोनीसिंह सर. माता संतोषकुंवर बेवा भोनीसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	209/1/1/2	0.203	0.203
	योग	1	0.203	0.203
84	उदयसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	3/3	1.512	0.070
		81/4	0.506	0.130
		151/3	0.051	0.051
	योग	3	2.069	0.251
85	कृष्णाकुंवर पति सुमेरसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	78/2	0.173	0.173
	योग	1	0.173	0.173
86	नंदकुंवर पिता हिन्दुसिंह, शंभुकुंवर पिता हिन्दुसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	67	0.253	0.173
		69	0.215	0.215
	योग	2	0.468	0.388
87	फुलकुंवर पति मेहरबानसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	78/1	0.173	0.173
	योग	1	0.173	0.173
88	बापू पिता भंवरिया जाति बेलदार नि. ग्राम भूमि स्वामी	377/12/1	1.326	0.140
	योग	1	1.326	0.140
89	भंवरलाल, शिवदयालसिंह पिता गोविन्दसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	79	0.316	0.316
	योग	1	0.316	0.316
90	भंवरलाल पिता रूपसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	155/1	0.003	0.003
		3/4	1.272	0.600
	योग	2	1.275	0.603
91	भीमसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	81/5	0.500	0.250
	योग	1	0.500	0.250
92	मोहनसिंह, रामसिंह, कैलाश पिता मथरालाल मु. नानीबाई विधवा मथरालाल जाति बेलदार नि.ग्राम भूमि स्वामी	377/1/1	0.627	0.260
	योग	1	0.627	0.260

93	रामकुंवर पति उदयसिंह जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	78/3	0.173	0.173
	योग	1	0.173	0.173
94	हरीसिंह पिता भंवरलाल जाति राजपूत नि. ग्राम भूमि स्वामी	112/1	0.069	0.069
	योग	1	0.069	0.069
95	भूराकुंवर बेवा सरदारसिंह जाति राजपूत नि.ग्राम भूमि स्वामी	352/1	0.248	0.248
		363	0.506	0.506
		381/2/1	0.678	0.678
		383/1/2	0.570	0.290
	योग	4	2.002	1.722
96	श्रीराम मंदिर ठाकुरजी महाराज (व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय राजगढ़)	179	0.126	0.126
		241	0.164	0.164
		247	0.139	0.139
		325	0.063	0.063
		326	0.519	0.519
	योग	5	1.011	1.011
97	हरिसिंह पिता भवरिया जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	377/12/2	1.326	0.090
	योग	1	1.326	0.090
98	धनसिंह पिता जगदीशसिंह जाति गुर्जर निवासी. मोहनपुरा भूमि स्वामी	73	0.114	0.114
		96/1/2	0.380	0.100
		65/2	1.568	0.100
	योग	3	2.062	0.314
99	शिवराजसिंह, रघुनंदनसिंह पिता गोविन्दसिंह, प्रेमसिंह, सरदारसिंह, भगवानसिंह पिता डूंगरसिंह हि. 80 पै. गजराजसिंह पिता डूंगरसिंह हि. 15 पै. बहादुरसिंह पिता नरभेसिंह हि. 05 पै. जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	274/1	0.228	0.228
	योग	1	0.228	0.228
100	मन्दिर श्री माता जी महा. (व्यवस्थापक कलेक्टर महोदय राजगढ़)	282	0.506	0.050
	योग	1	0.506	0.050

101	मांगीलाल पिता हीरालाल, रायसिंह पिता हीरालाल, लीलाबाई पति नारायणसिंह जाति बेलदार नि. ग्राम भू स्वामी	230/5	1.265	0.100
	योग	1	1.265	0.100
	कुलयोग :-	264	83.276	59.579

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 9 नवम्बर 2016

प्रारम्भिक अधिसूचना

प्र. क्र./ए./9404.—

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

क्र.	ग्राम - हरीपुरा विवरण	तहसील - जीरापुर जिला राजगढ़	
		अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	19.645	4.981
	योग	19.645	4.981

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	गोरीलाल आ. गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/2	2.000	0.050
	योग		2.000	0.050
2	इन्दरसिंह आ. कनीराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/3	2.000	1.000
	योग		2.000	1.000

3	प्रभु आ. कालु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3/5	2.000	0.020
	योग		2.000	0.020
4	रतन आ. कालु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/1/2 4/7	1.325	0.110
	योग		1.325	0.110
5	नाथूलाल आ. कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/1/3/1	1.757	0.365
	योग		1.757	0.365
6	पूरसिंह आ. कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/2 9/3	0.582	0.150
	योग		0.582	0.150
7	पूरसिंह आ. कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/3 4/4	1.417	0.218
	योग		1.417	0.218
8	पूरसिंह आ. कंवर लाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/5	0.557	0.003
	योग		0.557	0.003
9	पूरसिंह आ. कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	5/1	0.595	0.298
	योग		0.595	0.298
10	मांगीलाल नारायणसिंह बदेसिंह पिता कनीराम लाल सिंह इन्दर सिंह भगवानसिंह आ. रतनलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	5/2 6/1	0.772	0.300
	योग		0.772	0.300
11	लाल सिंह इन्दर सिंह भगवान सिंह पिता रतनलाल मांगीलाल नारायण सिंह बदेसिंह पिता कनीराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85	0.367	0.050
	योग		0.367	0.050
12	पूरसिंह आ. मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102	0.278	0.010
	योग		0.278	0.010
13	नानूराम आ. बापू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/1/1	0.505	0.505
	योग		0.505	0.505
14	पूरसिंह मोतीलाल देवजी मानसिंह आ. कंवरलाल बदनबाई बेवा कंवरलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/2/1	2.023	0.209
	योग		2.023	0.209
15	पूरसिंह आ. कंवर लाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/2/2	1.188	0.420
	योग		1.188	0.420

16	रतन आ. कालु जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/2/6	0.698	0.698
	योग		0.698	0.698
17	बालु सिंह आ. किशनलाल जड़ाव बाई बेवा किशन लाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/5	1.075	0.275
	योग		1.075	0.275
18	जगन्नाथ बदेसिंह आ. मोती जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	103/7	0.506	0.300
	योग		0.506	0.300
महायोग			19.645	4.981

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तरुण कुमार पिथोड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गुना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
गुना, दिनांक 18 नवम्बर 2016

प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2015-16/आरोनबाईपास/305.-

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन

(क) जिला	गुना
(ख) तहसील	आरोन
(ग) नगर/ग्राम	आरोन
(घ) लगभग क्षेत्रफल	23.398 हेक्टर

सरल क्रमांक	सर्वे क्रमांक	रकबा हेक्टर में सिंचित	परिसंपत्ति		
			मकान	वृक्ष	नलकूप/कुआ
1	49 गुना रोड पर	0.062			
2	47/2/3 गुना रोड पर	0.219			
3	40 गुना रोड पर	0.784			

4	153	0.511			
5	153 min 1	0.251			
6	155	0.261			
7	158 min 1	0.491			1 नलकूप
8	154 min 1	0.126			
9	197 min 2	0.468			
10	197 min 1	0.518			
11	200/1	0.489		आम 15, कटहल 3 बेरी 2, महुआ 1, अनार 5	
12	200/2	0.523			1 नलकूप
13	200/3	0.157			
14	272/2/1	0.157			
15	276/2	0.100			
16	276/1	0.075			
17	277	0.142			2 नलकूप
18	278/min 1	0.190			
19	278/ min 2	0.190			
20	278/ min 3	0.157			
21	289	0.388			
22	295	0.059			
23	294/1	0.428		बबूल 10, 2 यूके लिपटास 2	1 नलकूप
24	292	0.247			1 नलकूप
25	293/1	0.027			
26	312	0.249			
27	313/1	0.084			
28	313/2	0.084			
29	313/3	0.084			
30	313/4	0.083			
31	313/5	0.083			
32	318	0.467			
33	320/1	0.418			
34	320/2	0.009			
35	321	0.052			
36	325/min 2	0.136			
37	326	0.625	1	आम 17, जामुन 2, नीबू 2	1 नलकूप
38	328/ min 1	0.282		आम 8, जामफल 8, जामुन 1	
39	327/3	0.209	1	जामफल 32, नीबू 3, चंदन 8, अनार 3 आवला 3	
40	415	0.044			
41	411/1	0.282			
42	411/2	0.072			

43	411/3	0.491	पानी की टंकी 1		2 नलकूप
44	412	0.230			
45	396min 1/1	0.195			
46	396min 1/2	0.389			
47	396min 1/3	0.195			
48	395/2	0.371			
49	394/3	0.836			
50	394/2				1 नलकूप
51	393	0.072			
52	956/2 kh	0.460		जामफल 8,	
53	956/2g/ min 2				
54	947/2	0.042			
55	956/2/k/min2	0.470			
56	956/2/k/min3				
57	958/1/min 1	0.076			
58	958/1/min 2	0.076			
59	958/1/min 3	0.076			
60	958/1/min 4	0.012			
61	958/1min 2/1	0.042			
62	959/1	0.261			
63	958/2	0.314		नीम 1, सागवन 7	
64	960	0.595		नीम 1, बबूल 2.2	
65	968/1	0.406			
66	968/2				
67	969/1	0.069			
68	969/2				
69	994	0.146			
70	995	0.180			
71	986	0.105			1 नलकूप
72	987	0.180			1 नलकूप
73	988/min 2	0.173			1 नलकूप
74	989	0.365			1 नलकूप
75	984/min	0.047			
76	990	0.660			
77	1450	0.480			
78	1448/min 1	0.048			
79	1470 min 1	0.836			
80	1472/min 1	0.282			1 नलकूप
81	1472/ min2	0.261			
82	1474	0.732		आम 2	1 नलकूप
83	1495	0.146			
84	1493	0.209			
85	1491	0.050			
86	1496/2	0.060			
87	1497	0.150			

88	1498/1	0.272			
89	1498/2	0.142			
90	1499/1	0.363			
91	1501/1	0.094			
92	1501/2	0.042			
93	1500 सिरोंज रोड पर	0.247			
94	1627/3 सिरोंज रोड पर	0.203			
95	1505/ 2 gh	0.083			
96	1506/1 k सिरोंज रोड पर	0.322			
97	1506/1 kh सिरोंज रोड पर	0.074			
98	1445/3 min 1 सिरोंज रोड पर	0.134			
99	158 min 2	0.060			
100	968/3	0.040			
101	968/4	0.040			
102	988/min 1	0.030			
103	1627/2 सिरोंज रोड पर	0.015			
104	1506 min 1/5 सिरोंज रोड पर	0.040			
105	1496/2 सिरोंज रोड पर	0.105			
106	1504 Min सिरोंज रोड पर	0.021			
कुल योग		23.398	3	137	14

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- गुना -आरोन-सिरोंज मार्ग पर आरोन बायपास रोड दो लेन सडक निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण - मुख्य महाप्रबंधक म.प्र. सडक विकास निगम भोपाल एवं अनुविभागीय अधिकारी आरोन के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि में आवासीय संरचना एवं अन्य किसी प्रकार के निर्माण के लिये पृथक से पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की आवश्यकता नहीं है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2016

क्र. 1077-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं:—

सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री गौरी शंकर दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय, म. प्र. खण्डपीठ ग्वालियर, ग्वालियर.	ग्वालियर	ग्वालियर	प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, म. प्र. खण्डपीठ ग्वालियर, ग्वालियर की हैसियत से श्री अरविन्द मोहन सक्सेना के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 27 अक्टूबर 2016

क्र. B-5043-एक-7-3-15 भाग-एक.— उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक डी-5875-एक-7-3-2014 भाग-1 जबलपुर दिनांक 30 दिसम्बर 2015 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में भाईदूज के उपलक्ष्य में मंगलवार दिनांक 1 नवम्बर 2016 का अवकाश घोषित किया जाता है.

उपरोक्त घोषित अवकाश के फलस्वरूप शनिवार दिनांक 10 दिसम्बर 2016 को मध्यप्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्य दिवस रहेगा.

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2016

क्र. E-3672-दो-2-58-2014.— श्री पी. सी. शर्मा, जिला एवं न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 29 सितम्बर से 4 अक्टूबर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर पी. सी. शर्मा, जिला एवं न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-3676-दो-2-29-2014.— श्री एस. एस. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को दिनांक 20 से 23 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एस. एस. गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2016

क्र. B-5289-दो-2-30-2014.— श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दिनांक 17 से 21 अक्टूबर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 16 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री शिव मंगल सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिव मंगल सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. E-3730-दो-2-10-2016.—श्री बी. सी. मलैया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 15 से 17 सितम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 सितम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. सी. मलैया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. सी. मलैया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-3739-दो-2-18-2016.—श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 1 अक्टूबर 2016 का एक दिन अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. एस. सलुजा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-3737-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2016 को उनके लेखे में शेष बचे अवकाश में से 174 दिवस (एक सौ चौहत्तर दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है :-

गणना-पत्रक

1. श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त : 19-10-1987 अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-04-2016

3. नियुक्ति दिनांक से : लागू नहीं दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. नियुक्ति दिनांक 19-10-1987 से : 28 वर्ष 05 माह सेवानिवृत्ति दिनांक तक 11 दिन. कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित : निरंक अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).
6. कालम (4) में अंकित : 28=14×15=210 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 210 दिन समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 36 दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 174 दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

नोट:—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19/03/इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734/इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. E-3741-दो-2-53-2016.—श्री आर. एन. चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 18 से 27 अक्टूबर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चौधरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चौधरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-3743-दो-2-4-2015.—श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 4 से 7 अक्टूबर 2016 तक चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती राधा सोनकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती राधा सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-3745-दो-2-14-2012.—श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 24 से दिनांक 27 अक्टूबर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 अक्टूबर 2016 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 से 31 अक्टूबर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. जे. खान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. जे. खान उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2016

क्र. B-5296-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 18 अक्टूबर 2016 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-5298-दो-2-18-2008.—श्री आदर्श कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 2 से 9 नवम्बर 2016 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 अक्टूबर 2016 से दिनांक 1 नवम्बर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आदर्श कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आदर्श कुमार जैन उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-5300-दो-3-43-2013.—श्रीमती मीना सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 22 से दिनांक 27 सितम्बर 2016 तक छः दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-3747-दो-2-22-2013.—श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 7 सितम्बर 2016 से 1 अक्टूबर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पच्चीस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अक्टूबर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच. एन. बाजपेयी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. एन. बाजपेयी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-3749-दो-2-26-2016.—श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को दिनांक 2 से 3 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 अक्टूबर 2016 से 1 नवम्बर 2016 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती लक्ष्मी शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 2nd November 2016

No.C-4309-I-7-3-2016 (Part-I).—It is hereby notified that the following are the Vacation/Holidays of the High Court of Madhya Pradesh during the Year 2017:—

Summer Vacation:— From Monday 22nd May to Friday 16th June, 2017
Winter Vacation:— From Friday 22nd December to Saturday 31st December, 2017.

Sr. No.	Name of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of Week
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Republic Day	26-01-2017	Thursday
2.	Mahashivratri	24-02-2017	Friday
3.	Holi (Dhuredi)	13-03-2017	Monday
4.	Gudi Padwa/Chaiti Chand	29-03-2017	Wednesday
5.	Ramnavmi	04-04-2017	Tuesday
6.	Good Friday/ Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi/	14-04-2017	Friday
7.	Buddh Purnima	10-05-2017	Wednesday
8.	Id-Ul-Fitar	26-06-2017	Monday
9.	Raksha Bandhan	07-08-2017	Monday
10.	Janmashtmi	14-08-2017	Monday
11.	Independence Day	15-08-2017	Tuesday
12.	Ganesh Chaturthi	25-08-2017	Friday
13.	Id-Ul-Zuha	02-09-2017	Saturday
14.	Sarv Pitra Moksha Amavasya	19-09-2017	Tuesday
15.	Dussehra (30-09-2017)	Mahaashtmi Mahanavmi 28-09-2017 29-09-2017 30-09-2017	Thursday Friday Saturday
16.	Gandhi Jayanti	02-10-2017	Monday
17.	Deepawali (19-10-2017)	16-10-2017 17-10-2017 18-10-2017 19-10-2017 20-10-2017	Monday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
18.	Gurunanak Jayanti	04-11-2017	Saturday
19.	Id-milad un-Nabi	02-12-2017	Saturday
20.	Christmas Day	25-12-2017	Monday

Total: 26 Days

NOTES :—

- *Friday 17th March 2017 Will be a Holiday for Bench Indore only on account of Rang Panchmi and in lieu thereof *Saturday 8th April, 2017 will be Court Working Day for Banch Indore.
- New Year's Day dated 01-01-2017, Mahaveer Jayanti Dated 09-04-2017, Moharrum dated 01-10-2017 falls on Sunday & Makar Sankranti dated 14-01-2017 fall on closed Saturday, therefore these holidays are not declared separately.
- Saturdays falling on 14th & 21st January, 11th & 18th February, 11th & 18th March, 8th & 15th April, 13th & 20th May, 10th & 17th June, 8th & 15th July, 12th & 19th August, 9th & 16th September, 14th & 21st October, 11th & 18th November, 9th & 16th December will be closed Saturdays of High Court.
- Summer Vacation of High Court shall be From 22nd May 2017 to 16th June, 2017 and Winter Vacation from 22nd December 2017 to 31st December, 2017.
- The holidays in respect of Id-ul-fitar, Id-ul-Zuha, Moharrum and Id-milad un-Nabi are subject to change depending upon the visibility of moon.

CALENDAR OF HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR
FOR THE YEAR 2017

Days	JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL
SUN.	1	5	5	2
MON.	2	6	6	3
TUE.	3	7	7	4
WED.	4	8	8	5
THU.	5	9	9	6
FRI.	6	10	10	7
SAT.	7	11	11	8
Days	8	12	12	9
SUN.	9	13	13	10
MON.	10	14	14	11
TUE.	11	15	15	12
WED.	12	16	16	13
THU.	13	17	17	14
FRI.	14	18	18	15
SAT.	15	19	19	16
Days	16	20	20	17
SUN.	17	21	21	18
MON.	18	22	22	19
TUE.	19	23	23	20
WED.	20	24	24	21
THU.	21	25	25	22
FRI.	22	26	26	23
SAT.	23	27	27	24
Days	24	28	28	25
SUN.	25	29	29	26
MON.	26	30	30	27
TUE.	27	31	31	28
WED.	28			29
THU.	29			30
FRI.	30			31
SAT.	31			
Days				
SUN.				
MON.				
TUE.				
WED.				
THU.				
FRI.				
SAT.				
Days				
SUN.				
MON.				
TUE.				
WED.				
THU.				
FRI.				
SAT.				
Days				
SUN.				
MON.				
TUE.				
WED.				
THU.				
FRI.				
SAT.				
Days				
SUN.				
MON.				
TUE.				
WED.				
THU.				
FRI.				
SAT.				

○ Sundays & Holidays
△ Closed Saturday for Registry
□ Variation

TENTATIVE LIST OF HOLIDAYS OF THE SUBORDINATE COURT FOR THE YEAR 2017

No.C-4311-I-7-3-2016 (Part-I).—The following Tentative list of Holidays and Vacations for the Subordinate Courts during the Year 2017 prepared by the High Court is hereby published for general information:—

Sr. No.	Name of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of Week	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Republic Day	26-01-2017	Thursday	
2.	Mahashivratri	24-02-2017	Friday	
3.	Holi (Dhuredi)	13-03-2017	Monday	
4.	Gudi Padwa/Chaiti Chand	29-03-2017	Wednesday	
5.	Ramnavmi	04-04-2017	Tuesday	
6.	Good Friday/ Dr. Ambedkar Jayanti/Baisakhi	14-04-2017	Friday	
7.	Buddh Purnima	10-05-2017	Wednesday	
8.	Id-UI-Fitar	26-06-2017	Monday	
9.	Raksha Bandhan	07-08-2017	Monday	
10.	Janmashtmi	14-08-2017	Monday	
11.	Independence Day	15-08-2017	Tuesday	
12.	Ganesh Chaturthi	25-08-2017	Friday	
13.	Id-UI-Zuha	02-09-2017	Saturday	
14.	Sarv Pitra Moksha Amavasya	19-09-2017	Tuesday	
15.	Dussehra (30-09-2017)	Mahaashtmi Mahanavmi	28-09-2017 29-09-2017 30-09-2017	Thursday Friday Saturday
16.	Gandhi Jayanti			
17.	Deepawali (19-10-2017)	02-10-2017 16-10-2017 17-10-2017 18-10-2017 19-10-2017 20-10-2017	Monday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday	
18.	Gurunanak Jayanti	04-11-2017	Saturday	
19.	Id-milad un-Nabi	02-12-2017	Saturday	
20.	Christmas Day	25-12-2017	Monday	

Total: 26 Days

NOTES :—

1. New Year's Day dated 01-01-2017, Mahaveer Jaynti Dated 09-04-2017, Moharrum dated 01-10-2017 falls on Sunday & Makar Sankranti dated 14-01-2017 fall on closed Saturday, therefore these holidays are not declared separately.
2. Saturdays falling on 14th January, 11th February, 11th & March, 8th April, 13th May, 10th June, 8th July, 12th August, 9th September, 14th October, 11th November, 9th December will be closed Saturdays for Subordinate Court.
3. Summer Vacation of Subordinate Court shall be from 22nd May 2017 to 16th June, 2017 and Winter Vacation from 22nd December 2017 to 31st December, 2017.
4. Subordinate Courts will not observe the holidays declared or changed suddenly by the State Government/Competent Authority without approval of High Court.
5. The District Judge of the concerned district shall declare three Local holidays declared by the Collector/Commissioner of the concerned District or Tehsil without approval of the High Court under intimation to this Registry.
6. The holidays in respect of Id-ul-Fitar, Id-ul-Zuha, Moharrum and Id-milad un-Nabi are subject to change depending upon the visibility of moon.

The Saturday of every month (except Second Saturday) shall be utilized by the Subordinate Court as per the Registry Memo No. B/2380/III-6-8/85 Pt-II dt. 26-05-2010.

MANOHAR MAMTANI, Registrar General.

TENTATIVE CALENDAR OF SUBORDINATE COURT OF THE STATE OF MADHYA PRADESH
FOR THE YEAR 2017

Days	JANUARY	FEBRUARY	MARCH	APRIL
SUN.	1 8 15 22 29	5 12 19 26	5 12 19	2 9 16 23
MON.	2 9 16 23 30	6 13 20 27	6 13 20 27	3 10 17 24
TUE.	3 10 17 24 31	7 14 21 28	7 14 21 28	4 11 18 25
WED.	4 11 18 25	1 8 15 22	1 8 15 22	5 12 19 26
THU.	5 12 19 26	2 9 16 23	2 9 16 23	6 13 20 27
FRI.	6 13 20 27	3 10 17 24	3 10 17 24	7 14 21 28
SAT.	7 14 21 28	4 11 18 25	4 11 18 25	8 15 22 29
Days	MAY	JUNE	JULY	AUGUST
SUN.	7 14 21 28	4 11 18 25	7 14 21 28	6 13 20 27
MON.	8 15 22 29	5 12 19 26	8 15 22 29	7 14 21 28
TUE.	9 16 23 30	6 13 20 27	9 16 23 30	8 15 22 29
WED.	10 17 24 31	7 14 21 28	10 17 24 31	9 16 23 30
THU.	11 18 25	1 8 15 22 29 30	11 18 25	10 17 24 31
FRI.	12 19 26	2 9 16 23	12 19 26	11 18 25
SAT.	13 20 27	3 10 17 24	13 20 27	12 19 26
Days	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DECEMBER
SUN.	3 10 17 24	8 15 22 29	5 12 19	3 10 17 24
MON.	4 11 18 25	9 16 23 30	6 13 20 27	4 11 18 25
TUE.	5 12 19 26	10 17 24 31	7 14 21 28	5 12 19 26
WED.	6 13 20 27	1 8 15 22 29	8 15 22 29	6 13 20 27
THU.	7 14 21 28	2 9 16 23	9 16 23 30	7 14 21 28
FRI.	8 15 22 29	3 10 17 24	10 17 24 31	8 15 22 29
SAT.	9 16 23 30	4 11 18 25	11 18 25	9 16 23 30

○ Sundays & Holidays
 △ Closed Saturday for Registry
 □ Vacation

जबलपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2016

क्र. 1093-गोपनीय-2016-दो-3-1-2016 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री उमाशंकर अग्रवाल	ग्वालियर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सचिन शर्मा के स्थान पर.
2	श्री सचिन शर्मा	नरसिंहपुर	ग्वालियर	ग्वालियर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री उमाशंकर अग्रवाल के स्थान पर.
3	श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान	सागर	अलीराजपुर	अलीराजपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राम विलास गुप्ता के स्थान पर.
4	श्री राम विलास गुप्ता	अलीराजपुर	सागर	सागर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान के स्थान पर.
5	श्री अजय सिंह ठाकुर	भोपाल	बैरसिया	भोपाल	व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 बैरसिया के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बैरसिया जिला भोपाल की हैसियत से.

टिप्पणी— श्री राम विलास गुप्ता, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अलीराजपुर का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है.

जबलपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2016

क्र. 1125-गोपनीय-2016-दो-2-1-2016 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को कंडिका (2) की सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित उक्त न्यायिक अधिकारियों के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट स्थान पर अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियमित न्यायालय में पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 8 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट

सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री सुनील कुमार	भोपाल	टीकमगढ़	टीकमगढ़	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
2	श्री मोहित दीवान	जबलपुर	अनूपपुर	अनूपपुर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
3	श्री जोगिन्द्र सिंह	उज्जैन	देवास	देवास	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
4	श्री रईस खान	सीहोर	नसरूल्लागंज	सीहोर	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
5	श्री हितेन्द्र द्विवेदी	मुँरैना	दतिया	दतिया	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
6	श्री सुरेन्द्र कुमार	ग्वालियर	उमरिया	उमरिया	प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
7	श्री आशीष कुमार मिश्रा	इंदौर	मण्डला	मण्डला	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
8	श्री सुशील कुमार	शिवपुरी	कटनी	कटनी	द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.
9	श्री राजर्षि श्रीवास्तव	सागर	सागर	सागर	तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियमित रिक्त न्यायालय में.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मनोहर ममतानी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2016

Jabalpur, the 8th November 2016

क्र. C-4313-दो-2-58-2010.—श्री राजेश गुप्ता, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 2 से 5 नवम्बर 2016 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 28 अक्टूबर 2016 से 1 नवम्बर 2016 तक के एवं पश्चात में दिनांक 6 नवम्बर 2016 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश गुप्ता, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला न्यायाधीश (निरीक्षण) के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार

No. C-4451-III-6-4-57.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and all other enabling provisions, the High Court of Madhya Pradesh hereby designates the Judicial Officers shown in the Column No. (3) of the table below to be the Presiding Officers of the Court for trial of offences of Rape, Gang-rape, Murder with Rape and all other offences relating thereto for the Places shown in Column No. (2) of the said table, in supersession of all its earlier notifications in this regard in respect of the following places:—

TABLE

S. No. (1)	Place (2)	Name of the Officer and designation (3)
1.	Indore	Shri R. S. Sharma, III ASJ
2.	Dewas	Smt. Sarita Singh, SJ

By order of the High Court,
VIVEK SAXENA, OSD (D.E.)